भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

भारिबैं/2014-15/56

गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.387/03.10.42/2014-15 **1 जुलाई 2014**

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज)
विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज)

महोदय,

<u>मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड- धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व</u>

जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी करता है। इसी दृष्टिकोण से उल्लिखित विषय पर 30 जून 2014 तक अद्यतनीकृत मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है। मास्टर परिपत्र बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।

भवदीय,

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 2 री मंजिल, संटर I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005
फोन:22182526, फैक्स:22162768 ई-मेल:helpdnbs@rbi.org.in

Department of Non Banking Regulation, Central Office, 2nd Floor, Centre I, WTC, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005
Tel No:22182526, Fax No:22162768 Email :helpdnbs@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढाइए

विषय सूची

पैरा नं:	विवरण
I	अपने ग्राहक को जानने(केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश-धन शोधन निवारण मानदंड
	1 से 10 सामान्य
	11. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एंव आधार सं के ब्यौरे दिए गए हैं.
	12. राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्तियों (PEPs) के खाते
	13. व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गए ग्राहक खाते
	14. स्वामित्व प्रतिष्ठान का खाता
	15. प्रधान अधिकारी
	16. धनशोधन/आतंकवादियों को वित्तपोषण का संदेह
	17. संदिग्ध लेनदेन संबंधी रिपोर्ट (STR) फाईल करना
II	धन शोधन निवारण/काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी अधिनियम, 2002-उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व
	1. सामान्य
	2. लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव
	3. परिरक्षित की जानेवाली सूचना
	4. रिकार्डों का रखरखाव और परिरक्षण
	5. वित्तीय आसूचना एकक - भारत को रिपोर्टिंग
	6 से 11 सामान्य
	12. पीएमएलए संशोधन नियम 2009/2010
	13. जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी
III	आतंकवाद के वित्त्पोषण के खिलाफ संघर्ष
IV	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमा खातों का परिचालन तथा धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति
	परिशिष्ट

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), मानदंड/धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र

धनशोधन निवारण मानदण्डों एवं वित्तीय आतंकवाद से संघर्ष के बारे में गठित "वित्तीय कार्रवाई दल" की सिफारिशों के मद्देनज़र, उक्त विषय पर जनवरी 2004 में जारी, पिछले दिशानिर्देशों की समीक्षा करके फरवरी 2005 में "अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गये थे। ये मानदण्ड धनशोधन निवारण एवं वित्तीय आतंकवाद से संघर्ष के लिए विनियामक प्राधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों के लिए देश के बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परचालन और विकास विभाग ने "वित्तीय कार्रवाई दल" की सिफारिशों एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा बैंकों के लिए जारी पर्याप्त सावधानी (ड्यू डिलीजेंस) संबंधी पेपर के आधार पर बैंकों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया उदाहरण स्वरूपी सुझावों के साथ, जारी किए हैं जिनकी एक प्रति अनुबंध -1 के रूप में संलग्न है। ये दिशानिर्देश समान रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी लागू हैं। इसलिए सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी गतिविधियों / कार्यों के स्वरूप के अनुसार उन्हें आवश्यक संशोधनों के साथ अपना लें तथा यह सुनिश्चित करें कि "अपने ग्राहक को जानने **(**केवाईसी**)"** तथा धन शोधन निवारण उपायों के लिए समुचित नीति गत ढ़ांचा तैयार करें और इस परिपत्र की तारीख से 3 माह के भीतर अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से उन्हें लागू करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर 2005 से पूर्व वे उल्लिखित अनुदेशों की पूरी तरह अनुपालन करने वाली बन जाएं।

2. परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस बात को ध्यान में रखें कि खाते खोलते समय ग्राहकों से प्राप्त सूचना को गोपनीय रखें तथा उसके ब्योरे प्रति-बिक्रय (क्रास सेलिंग) या किसी अन्य प्रयोजन से न खोले जाएं/दिए जाएं। अत: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यह सुनिश्चित करें कि प्रत्याशित जोखिम से के अनुरूप सूचना ग्राहकों से मांगी/प्राप्त की जाए जो अनंतर्वेधी हो तथा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। अन्य सूचना खाता खोलने के बाद ग्राहक की सहमति से अलग से प्राप्त की जा सकती है।

3. चूंकि यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमाराशियाँ एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों जिनमें दलाल(ब्रोकर)/एजेंट, आदि शामिल हैं पर दिशानिर्देश समान रूप से लागू हैं। अत: 11 अक्तूबर 2005 को सूचित किया गया था कि:

(i) अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा उनके अधिकृत व्यक्तियों , जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, द्वारा किया जाना

जहाँ तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों , जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, द्वारा जनता से जमा राशियां एकत्रित/इकट्ठी करने का संबंध है, चूँकि ये व्यक्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमाराशियाँ इकट्ठी करते हैं इसलिए अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मानकों का पालन इनके द्वारा किये जाने की पूरी जिम्मेदारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की होगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस संबंध में संपूर्ण जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ताकि इस बात को सत्यापित किया जा सके कि कंपनी अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है तथा वे अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट, आदि शामिल हैं, द्वारा इस बारे में किये जानेवाले किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी ।

30 दिसंबर 2004 को जारी कंपनी परिपत्र सं. 46 में अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (RNBCs) के लिए एक रोडमैप बनाया गया था जिसमें निम्नवत दिशानिर्देश जारी किए गए थे:

1 अप्रैल 2004 के बाद बनाए गए नए ग्राहकों के संबंध में कंपनी परिपत्र सं. 48 में अपने ग्राहकों को जानने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का सभी मामलों में अनुपालन होना चाहिए।तथापि, मौजूदा ग्राहकों में से, प्रारंभ में बड़े ग्राहकों, जिनकी समग्र जमाराशियां रु. 1 लाख से अधिक हैं, के बारे में अपने ग्राहकों को जानने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। मौजूदा शेष खातों के संबंध में कंपनियाँ यह सुनिश्चित करें कि जमाराशियों के नवींकरण के समय ग्राहकों के बारे में ब्योरे अद्यतन कर दिए जाएं। हालांकि, इससे ग्राहकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ना न सहनी पड़े।

जहाँ तक एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा जमाराशियाँ एकत्रित करने का संबंध है, यदि वे अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की ओर से जमाराशियाँ एकत्रित करते हैं तो अपने एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी अवशिष्ट गैर बैंकेंग कंपनी की होगी। "अपने ग्राहकों को जानने" के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुपालन की पूरी जानकारी अवशिष्ट गैर बैंकेंग कंपनी विनियामक या उसके नामिनी को उपलब्ध कराएगी और कंपनी की ओर से परिचालन करने वाले अपने एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के सभी परिणामों को उसे स्वीकार करना होगा।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों जिनमें दलाल/ एजेंट, आदि शामिल हैं, के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतना (ड्यू डिलीजेंस)

अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों के विस्तार के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जनता से जमाराशियाँ इकट्ठी करने के लिए अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, की नियुक्ति एवं (उनकी पृष्ठभूमि/ अध्यवसायिता के) विस्तृत सत्यापन की एक समान कार्यप्रणाली रखनी होगी। किये गए अध्यवसाय/पर्याप्त सावधानी का ब्योरा कंपनी के रिकार्ड में सत्यापन के लिए रखा जाए। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 31 दिसंबर 2005 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को मिल जानी चाहिए थी।

जमाकर्ताओं के हित में तथा परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनियाँ एक प्रणाली रखें जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के कंपनी के दलाली कार्य से संबंधित बही-खाते उपलब्ध रहें तथा जरूरत पड़ने पर उनकी लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण किया जा सके । उल्लिखित 30 दिसंबर 2004 के कंपनी परिपत्र सं. 46 के द्वारा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को भी उक्त रीति से ही सूचित किया गया था और उन्हें 31 जनवरी 2005 तक रिज़र्व बैंक को अनुपालन रिपोर्ट देनी थी।

(iii) अधिकृत व्यक्तियों , जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के पहचान योग्य संपर्क (identifiable contact) के अनुसार ग्राहक सेवा

सभी जमा रसीदों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम एवं उसके पंजीकृत कार्यालय का पता दर्ज होना चाहिए तथा उस पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के नाम तथा उनके पते, जो जमाराशि इकट्ठी करते हैं, तथा लिंक आफिस (संपर्क कार्यालय) के उस अधिकारी और या अधिकृत व्यत्ति, जिनमें दलाल/ एजेंट आदि शामिल हैं, के फोन नंबर दिये हों ताकि फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों के समक्ष संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का स्पष्ट पता रहे और बिना दावा के /व्यपगत (भूली हुई) जमा, जारी न रखी गई जमा, ब्याज का भुगतान एवं ग्राहकों की अन्य शिकायतों/ परिवाद आदि के मामलों को अच्छी तरह निपटाया जा सके। कंपनियाँ एक प्रणाली विकसित करें जिसमें ऐसे अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, जिनके मामले में जमाराशियाँ जारी न रहने के मामले ज्यादा हों, की पहचान हो सके ताकि तत्संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके ।

उक्त के अनुसार 30 दिसंबर 2004 के परिपत्र सं. कंपरि. 46/02.02(आरएनबीसी)/2004-05 में अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को भी सूचितकिया गया था।

4. मार्च 2006 में सभी खातों में कुल मिलाकर (₹.50,000/-) का जमाशेष और सभी खातोंगत कुल क्रेडिट एक वर्ष में (₹.1,00,000/-)से अधिक न रखने के इच्छुक व्यक्तियों के संबंध में (ग्राहकों के) खाते खोलने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुपालित किये जानेवाले अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों (मार्गदर्शी सिद्धांतों) की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए ।

5. तदनुसार, अगर कोई व्यक्ति 21 फरवरी 2005 के हमारे उक्त परिपत्र के संलग्नक बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के संदर्भित परिपत्र के अनुबंध II में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न कर सके तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पैराग्राफ 2 में उल्लिखित खाते निम्नलिखित शर्तों के तहत खोल सकती हैं:-

ए) किसी ऐसे खातेदार द्वारा परिचय जिसके संबंध में अपने ग्राहक को जाननें संबंधी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया हो/जांच की गई हो। परिचयकर्ता का खाता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में कम से कम छह माह पुराना हो और उसमें सतोषजनक लेन-देन हुए हों। खाता खोलने के इच्छुक व्यत्ति का फोटोग्राफ और उसके पते को परिचयकर्ता द्वारा प्रमाणित कराया जाए।

या

बी) इच्छुक ग्राहक के परिचय और उसके पते के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संतुष्ट हो।

6. उल्लिखित प्रकार से जिस व्यक्ति का खाता खोला जाए उसे अवगत करा दिया जाए कि यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में किसी समय निर्दिष्ट सीमा उसके सभी खातों में कुल मिलाकर (₹ 50,000/-) के जमाशेष और सभी खातोंगत वर्ष में कुल क्रेडिट (₹1,00,000/-) से अधिक हो जाएगी, तो खातेदार का लेन-देन तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक अपने ग्राहक को जाननें संबंधी दिशानिर्देशों में सुझाई गई प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी। ग्राहक को असुविधा से बचाने के लिए गेर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमा खाते में शेषराशि (₹40,000/-) और एक वर्ष में कुल क्रेडिट (₹ 80,000/-) के पहुंचते ही ग्राहक को उसकी जानकारी दें तथा सूचित करें कि वह अपने ग्राहक को जाननें संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे अन्यथा जमा खाते में कुल मिलाकर (₹50,000/-) के जमाशेष और सभी खातोंगत वर्ष में कुल क्रेडिट (₹1,00,000/-) होने पर उसका लेन-देन बंद कर दिया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे इस संबंध में उत्त अनुपालन के लिए अपनी शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें।

7. इसके अलावा, अप्रैल 2008 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को स्पष्ट किया गया था कि 21 फरवरी 2005 के परिपत्र में **"संतुष्ट होने"** का अर्थ है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा हर हालत में सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करना कि लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में,

ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर, समुचित सावधानी बरती गई है। इसी परिपत्र के अनुबंध VIII में ग्राहक की पहचान करने से संबंधित दस्तावेजों के स्वरूप एवं प्रकार की **उदाहरणस्वरूप सूची** भी उसमें दी गई थी जिन पर निर्भर किया/हुआ जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अनुबंध VIII में जिस सूची को स्पष्ट रूप से उदाहरण के रूप में दिया गया था, उसे कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने व्यापक सूची के रूप में समझ लिया हो और परिणामत: जनता के एक वर्ग को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने से मना कर दिया गया हो। अस्तु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपने मौजूदा आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे इस परिपत्र के अनुबंध VIII में वर्णित स्थायी सही पते का अर्थ उस पते से है जहाँ कोई व्यक्ति आमतौर पर रहता/निवास करता है तथा किसी उपभोक्ता बिल या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ग्राहक के पते के रूप में स्वीकार किए गए किसी अन्य दस्तावेज में अंकित पते से है। यदि राशि जमा करने वाले व्यक्ति के नाम में उपभोक्ता बिल न हो किन्तु वे निकट संबंधी के हों अर्थात पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता, आदि जो अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहते हों तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे भावी ग्राहक की पहचान के रूप में उल्लिखित व्यक्तियों के पहचान संबंधी दस्तावेज और उपभोक्ता बिल, संबंधित व्यक्ति के इस आशय के घोषणा पत्र के साथ ले सकते हैं कि खाता खोलने का इच्छुक व्यक्ति घोषणाकर्ता का संबंधी है और उसके साथ रहता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पते के सत्यापन के लिए किसी पूरक साक्ष्य का सहारा ले सकती हैं जैसे सत्यापन के रूप में डाक से प्राप्त पत्र। इस विषय पर अपनी शाखाओं को परिचालन संबंधी अनुदेश जारी करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखें और अन्यथा कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों के लिए अवांछित अड़चनें पैदा न करें।

9. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि खातों के जोखिम वर्गीकरण और किसी ग्राहक के उच्च जोखिम वाला होने के अनुमान के तहत और ज्यादा पर्याप्त सावधानी बरतने की आवधिक समीक्षा करने की प्रणाली स्थापित करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया जाता है कि ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा आवधिक आधार पर करें जिसकी अवधि 6 माह में **एक बार से कम न** हो। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ खाते खोलने के बाद ग्राहकों को पहचान संबंधी आंकड़ों (फोटोग्राफ सहित) को आवधिक आधार पर अद्यतन करने की प्रणाली भी लागू करें। इस प्रकार अद्यतन करने की आवधिकता कम जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में हर पांच वर्ष में एक बार तथा मध्यम एवं उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में हर दो वर्ष में एक बार से कम न हो।

10. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देश इन कंपनियों की भारत से बाहर, विशेषकर एफएटीएफ संस्तुतियों को या तो लागू न करने वाले या अपर्याप्त रूप में लागू

करने वाले देशों में स्थित शाखाओं एवं प्रमुख रूप से स्वाधिकृत सहायक कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होगें जहाँ तक उस देश के कानून अनुमति देते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक एवं मेजबान देश के विनियामक द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल मार्गदर्शी सिद्धांतों में यदि भिन्नता हो तो उनमें से जो भी सिद्धांत सख्त होगें उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऐसी शाखाओं/ओवरसीज़ सहायक कंपनियों द्वारा अपनाया जाएगा।

11. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एंव आधार सं के ब्यौरे दिए गए हैं.**

भारत सरकार द्वारा 16 दिसम्बर 2010 को अधिसूचना सं:14/2010/एफ.सं.6/2/2007-ईएस जारी किया गया था जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में शामिल नाम, पता और आधार संख्या ब्यौरे को धनशोधन निवारण नियम 2005 के नियम 2(1)(घ) में दिये गए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करती है. "आधार" के आधार पर खाते खोलते समय भी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ग्राहक के वर्तमान पते के संबंध में अपेक्षित प्रमाण प्राप्त करके अपनी संतुष्टि अवश्य करें ।

11 ए. [1]₹ 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने / जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा गठित एक कार्यदल ने एक कैंद्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री की स्थापना के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों के लिए विशिष्ट पहचान-संकेतों की शुरूआत करने का प्रस्ताव किया है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि किसी प्रकार का नया ग्राहक संबंध बनाते समय अपने सभी ग्राहको को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित करने हेतु कदम उठाए। इसी प्रकार, 31 मार्च 2014 समाप्ति तक मौजूदा व्यक्तिक ग्राहको को भी यूसीआईसी आबंटित किया जाए। यूसीआईसी एनबीएफसी को समग्र रूप से ग्राहक पहचान, उपभोग की गई सुविधाओं का ट्रैक रखने, वितीय लेनदेन पर नज़र रखने में सहायक होगी और एनबीएफसी ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल पर बेहतर पकड़ बना पायेंगी। यह ग्राहको के लिए एनबीएफसी परिचालन को और सरल व सुगम भी बनायेगा।

12. <u>राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्तियों (PEPs) के खाते</u>

1. राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों या घनिष्ठ संबंधियों पर ग्राहकों से संबंधित पर्याप्त सावधानी उपायों (CDD) पर विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध VII में दिए गए हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि यदि मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाते का धारक जो बाद में राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति में तब्दील हो जाता है, के मामले में (अवशिष्ट गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) सभी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ ऐसे व्यक्ति के साथ कारोबारी संबंध जारी रखने के बारे में अपने वरिष्ठ प्रबंधन से अनुमति प्राप्त करें तथा ऐसे व्यक्ति के खाते को

[1] 3 मई 2013 का डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं.325/03.10.42/2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

ग्राहक को जानने संबंधी पर्याप्त सावधानी उपायों के तहत जांच करने के अलावा ऐसे राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति के मामले में लगातार अतिरिक्त निगरानी अख्तियार करें।

इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया था कि परम हितकारी राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्तियों के खातों के स्वामी लिए भी यह लागू होगा। साथ ही, राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति के खातो के संबंध में, यह पुन: दोहराया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों या घनिष्ठ संबंधियों और की पहचान तथा ग्राहकों से संबंधित पर्याप्त सावधानी उपायों (CDD) के लिए उचित चयमान जोखिम प्रबंधन प्रकिया अपनाये।

13. <u>व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गए ग्राहक खाते</u>

जब किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह पता चले अथवा ऐसा विश्वास करने के कारण हों कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एक ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान की जानी चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ म्युच्युअल निधियों, पेंशन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते रख सकती हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए 'ऑन डिपाज़िट'अथवा `इन एस्क्रो' धारित निधियों के लिए वकीलों/चार्टर्ड एकाउंटेंटों अथवा स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रबंधित `समूहित' खाते भी होते हैं। जहां मध्यवर्तियों द्वारा धारित निधियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और ऐसे 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। जहां ऐसी निधियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्तर पर एक साथ मिश्रित हों, वहां भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। साथ ही, उक्त मास्टर परिपत्र के अनुबंध VI के पैराग्राफ 3 के अनुसार यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसरण में किसी खाते को स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को चाहिए कि वह हितार्थी स्वामी/स्वामियों की पहचान करने हेतु समुचित कदम उठाए और उसकी/ उनकी पहचान का सत्यापन इस प्रकार करे ताकि इस बात की संतुष्टि हो जाए कि हितार्थी स्वामी कौन है। अतः मौजूदा एएमएल/सीएफटी ढांचे में वकीलों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों, आदि जैसे व्यावसायिक मध्यवर्तियों के लिए अपने ग्राहकों की ओर से खाते रखना संभव नहीं है, क्योंकि वे ग्राहक गोपनीयता से बंधे होते हैं जिसके कारण ग्राहक के ब्योरे प्रकट करना प्रतिबंधित होता है ।

अतः इस बात को दोहराया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वकीलों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों आदि जैसे व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा ग्राहक/ग्राहकों की ओर से खाते खोलने तथा/अथवा रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जे ग्राहक गोपनीयता की व्यावसायिक बाध्यता के कारण खाते के स्वामी की सही पहचान प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी

व्यावसायिक मध्यवर्ती को किसी ऐसे ग्राहक की ओर से खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो किसी बाध्यता के कारण ग्राहक की ओर से रखे गए खाते की सही पहचान अथवा खाते के लाभार्थी स्वामी की सही पहचान जानने तथा सत्यापित करने अथवा लेनदेन के सही स्वरूप तथा प्रयोजन को समझने की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की क्षमता के आड़े आती हो ।

14. <u>मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते</u>

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सूचित किया गया है कि वे विधिक संस्थाओं के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया पर आंतरिक दिशानिर्देश बनाएं जो ऎसी संस्थाओं के साथ संपर्क से प्राप्त अनुभव, सामान्य ऋणदाता के विवेक तथा स्थापित प्रथाओं के अनुसार विधिक अपेक्षाओं पर आधारित हों। यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां ग्राहक स्वीकार्यता नीति के अनुसार ऎसे खातों को स्वीकार करता है तो उसे स्वामी (स्वामियों) की पहचान करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और उसकी पहचान का इस प्रकार सत्यापन करना चाहिए कि गैर बैंकिंग वितीय कंपनी इस बात से संतुष्ट हो कि लाभांवित स्वामी कौन है।

इसके अतिरिक्त स्पष्टता के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए ग्राहक की पहचान –प्रक्रिया हेतु मानदंड निर्धारित किए जाएं। तदनुसार, स्वत्वधारी पर लागू ग्राहक पहचान प्रक्रिया संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से खाते खोलने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज की मांग करें तथा उनका सत्यापन करें:

i) नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान का पता तथा गतिविधियां जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस, बिक्री कर, आय कर रिटर्न, सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र, बिक्री कर / सेवा कर / व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ पंजीकरण दस्तावेज, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाण पत्र।

ii) मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी / विभाग द्वारा जारी किया गया कोई पंजीकरण / लाइसेंस दस्तावेज़। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से खाता खोलने के लिए उसे विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की गई आयातक-निर्यातक कूट (आईईसी) को भी पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकते है।

iii) एकल स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो। विवरणी आय कर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/ स्वीकृत हो।

iv) स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल।

v) उपर्युक्त में से कोई दो दस्तावेज पर्याप्त होंगे। दस्तावेज मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से होने चाहिए।

15. **प्रधान अधिकारी**

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को 1 जुलाई 2009 के उल्लिखित मास्टर परिपत्र के अनुबंध VI के पैरा 10 में सूचित किया गया है कि वे किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करें। प्रधान अधिकारी की भूमिका एवं दायित्वों को उक्त पैरा में वर्णित किया गया है। प्रधान अधिकारी अपने दायित्वों को भलीभांति निभा सके, एतदर्थ यह आवश्यक है कि प्रधान अधिकारी एवं अन्य उचित स्टाफ को ग्राहक की पहचान संबंधी आंकड़ों और ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी /सतर्कता संबंधी सूचना, लेनदेन के रिकार्ड व अन्य संगत सूचना समय से देखने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) यह सुनिश्चित करें कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सके और वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक बोर्ड को सीधे रिपोर्ट कर सके।

16. धनशोधन/आतंकवादियों को वित्तपोषण का संदेह

आपराधिक तत्वों/लोगों द्वारा धनशोधन हेतु / आतंकवादियों को वित्तपोषित करने के लिए गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों का, जाने या अनजाने में, दुरुपयोग होने को रोकने की दृष्टि से यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ भी धनशोधन होने / आतंकवादियों को वित्तपोषण करने का संदेह हो या जब ऐसे अन्य कारक इस विश्वास को बल दें कि ग्राहक, वास्तव में, कुछ जोखिम दर्शाता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसा खाता खोलने से पूर्व ग्राहक के बारे में पर्याप्त सावधानी बरतने (CDD) की पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करे।

17. संदिग्ध लेनदेन संबंधी रिपोर्ट (STR) फाईल करना

आपका ध्यान मास्टर परिपत्र के अनुबंध VI के पैरा 2(iv) में अंतर्विष्टि अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों को ऐसे मामलें में खाते नहीं खोलने चाहिए (या मौजूदा खाते को बंद करने पर विचार करना चाहिए) जहाँ वह ग्राहक की पहचान करने संबंधी पर्याप्त सावधानी की प्रक्रिया (CDD) को पूरा न कर पा रही हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि उन परिस्थतियों में जहाँ गैर बैंकिं ग वित्तीय कंपनी को विश्वास हो कि वह ग्राहक के बारे में पूरी पहचान नहीं पता नहीं कर पाएगी, वहाँ उसे एसटीआर रिपोर्ट FIU-IND के पास फाइल करनी चाहिए।

II. धन शोधन निवारण/काले धन को बैध बनाने पर रोक संबंधी अधिनियम, 2002-उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व

1. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे एक प्रधान अधिकारी की नियुक्ति करें और संदिग्ध एवं 10 लाख रुपए तथा अधिक के नकद लेनदेनों को रिपोर्ट करने के लिए एक आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करें। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तत्संबंधी नियमावली के बारे में 1 जुलाई 2005 की अधिसूचना भारत के राजपत्र में जारी की थी। नियमावली के अनुसार 1 जुलाई 2005 से धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू हो गया है। धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ग्राहकों के खातों से संबंधित सूचना को अनुरक्षित एवं रिपोर्ट करने के दायित्व हैं।

[2]धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम 2012 के लागू होने तथा अधिनियम की धारा 13 में "जुर्माना लगाने के लिए निदेशक के अधिकार" का प्रावधान करते हुए संशोधन करने के कारण धारा 13(2) का पाठ अब निम्नानुसार होगा:

"*किसी भी जांच के दौरान यदि निदेशक यह पाता है कि रिपोर्टिंग संस्था या बोर्डमें उसका नामित निदेशक या उसका कोई कर्मचारी इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले दायित्वों का अनुपालन करने में असफल रहता है* तब *इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत संभावित किसी अन्य कार्रवाई को प्रभावित किए बिना वह-*

(ए) लिखित में चेतावनी जारी कर सकता है; या

(बी) ऐसी संस्था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी को विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करने का निदेश दे सकता है; या

(सी) ऐसी संस्था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी को उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों के संबंध मं निर्धारित अंतराल पर रिपोर्ट भेजने के निदेश दे सकता है या

(डी) ऐसी संस्था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी पर आदेश जारी करके जुर्माना लगा सकता है जो प्रत्येक चूक के लिए 10 हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन उसे बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है।

उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी, धनशोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपने दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने बोर्ड पर "नामित निदेशक" के रूप में एक निदेशक को नामित करें।

[2] 29 मई 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.378/03.10.42/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

2. लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित लेन-देनों का उचित रिकार्ड रखने की प्रणाली शुरू करें जैसा कि नीचे बताया गया है

(i) विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले अथवा उसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन;

(ii) समग्र रूप में एक दूसरे से संबद्ध नकद लेनदेनों की सभी श्रृंखलाएँ जिनका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से कम अथवा उसके समकक्ष किया गया है जहाँ ऐसे लेनदेन एक महीने के भीतर घटित हुए हैं और ऐसे लेनदेनों का कुल मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है;

(iii) ऐसे सभी नकद लेनदेन जहाँ नकली और जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का प्रयोग असली नोटों के रूप में किया गया है तथा जहाँ किसी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी की गई है;

(iv)सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकदी में किये गये हैं या नहीं और जो लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए उक्त नियमों के अंतर्गत किए गए हैं ।

3. परिरक्षित की जानेवाली सूचना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना का परिरक्षण करें

(i) लेनदेनों का स्वरूप;
(ii) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसका मूल्यवर्गीकरण किया गया;
(iii) वह तारीख जब लेनदेन संचालित किया गया; तथा
(iv) लेनदेन के पक्षकार ।

4. रिकार्डों का रखरखाव और परिरक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखों संबंधी सूचना के उचित रखरखाव और परिरक्षण की ऐसी प्रणाली विकसित करें ताकि इससे आवश्यकता पड़ने पर या जब भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इनके लिए अनुरोध किया जाए तब आसानी से और तुरंत यह आँकड़े पुनः उपलब्ध हो सकें। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहचान के रिकार्ड और लेनदेन के आँकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(i) सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) 1 जून 2009 से लागू हो गया है। धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा 2 (aध) के अनुसार धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (aध) में वर्णित रेकार्ड ग्राहक एवं बैंकिंग कंपनी के बीच हुए लेनदेन की तारीख से 10 वर्ष तक अभिरक्षित किए जाएंगे तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2(b)

के अनुसार धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (c) में वर्णित रेकार्ड ग्राहक एवं बैंकिंग कंपनी के बीच लेनदेन समाप्त होने की तारीख से 10 वर्ष तक अभिरक्षित किए जाएंगे।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण [लेनदेनों के स्वरूप तथा मूल्य (राशि) के रेकार्ड का अनुरक्षण, सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तरीका एवं प्रस्तुतीकरण के समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं एवं मध्यस्थों के ग्राहकों की पहचान का सत्यापन एवं रेकार्ड अनुरक्षण) नियमावली, 2005 (PMLA Rules) के <u>नियम 3</u> में उल्लिखित, घरेलू एवं अतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के, लेनदेन जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) एवं ग्राहकों के बीच हुए हों, के सभी आवश्यक रेकार्ड लेनदेन की तारीख से न्यूनतम दस वर्ष के लिए रखें जिससे अलग-अलग लेनदेनों (शामिल राशि एवं करेंसी के स्वरूप, यदि काई हें)] के रेकार्ड को पुनर्सरचित (रिकंस्ट्रक्शन) किया जा सके और आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने में, यदि आवश्यक हो तो, इन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) तथापि, खाता खोलने के समय ग्राहक की पहचान एवं उसके पते से संबंधित रेकार्ड (उदाहरणार्थ- पासपोर्ट, पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, उपभोक्ता बिल, आदि) एवं कारोबारी संबंधों के दौरान के रेकार्ड, जैसाकि 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित है, को उक्त नियमावली के <u>नियम 10</u> की अपेक्षानुसार ऐसे संबंधों की समाप्ति से दस वर्षों तक अनुरक्षित किए जाएंगे।

5**. <u>वित्तीय आसूचना एकक - भारत को रिपोर्टिंग</u>**

यह सूचित किया जाता है कि पीएमएलए नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों की सूचना निम्नांकित पते पर निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक-

भारत (एफआइयू -आइएनडी) को दें
निदेशक, एफआइयू - आइएनडी,
वित्तीय आसूचना एकक -भारत,
6 वीं मंजिल, होटल सम्राट,
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली - 110 021

1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सभी रिपोर्टिंग फार्मेटों को ध्यान से पढ़ें। कुल मिलाकर बैंकिग कंपनियों के लिए पाँच रिपोर्टिंग फार्मेट हैं अर्थात् (i) नकदी लेनदेनों की मैन्युअल रिपोर्टिंग (ii) संदेहास्पद लेनदेनों की मैन्युअल रिपोर्टिंग (iii) बैंक के प्रधान अधिकारी द्वारा नकदी लेनदेनों की समेकित रिपेर्टिंग (iv) नकदी लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा संरचना और (v) संदेहास्पद लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रानिक डाटा संरचना जो इस परिपत्र के साथ संलग्न

हैं। रिपोर्ट करने के प्रपत्रों में रिपोर्टों के संकलन तथा एफआइयू आइएनडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके /प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। **गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे बैंकों के लिए निर्धारित फार्मेटों को आवश्यक संशोधनों के साथ अपनाएं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के संबंध में यथाशीघ्र पहल करें।** इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में रिपोर्टें तैयार करने के लिए संबंधित हार्डवेयर और तकनीकी आवश्यकता, संबंधित डाटा फाइलें तथा उनकी डाटा संरचना संबंधित फार्मेटों के अनुदेश वाले भाग में दी गई हैं। तथापि, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टें तुरंत फाइल करने की स्थिति में नहीं हैं, वे एफआइयू - आइएनडी को मैन्युअल रिपोर्टें फाइल करें। जबकि सभी प्रकार की रिपोर्टें फाइल करने के विस्तृत अनुदेश संबंधित फार्मेटों के अनुदेश वाले भाग में दिये गये हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ निम्नलिखित बातों का अत्यंत सावधानी से पालन करें

(ए) प्रत्येक माह की नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अगले महीने की 15 तारीख तक एफआइयू -आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए। सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम राशि के अलग-अलग लेनदेनों को शामिल न किया जाए।

(बी) कोई भी लेनदेन चाहे नकदी हो या नकदी से इतर या लेनदेनों की एक श्रृंखला जो समग्रतः आपस में जुड़े हों, संदिग्ध स्वरूप के हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के 7 दिनों के भीतर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रधान अधिकारी को वे कारण रिकार्ड करने चाहिए जिससे किसी लेनदेन या लेनदेनों की श्रृंखला को संदिग्ग्ध माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी शाखा या अन्य कार्यालय से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने में अनावश्यक देरी न हो। ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर उन्हें उपलब्धकरायी जाए;

(सी) एफआइयू - आइएनडी को समय पर सीटीआर और एसटीआर रिपोर्टें प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व प्रधान अधिकारी का होगा ।

(डी) एफआइयू - आइएनडी को सीटीआर और एसटीआर फाइल करते समय अत्यंत गोपनीयता बरती जाए। ये रिपोर्टें अधिसूचित पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट, फैक्स, ई-मेल द्वारा भेजी जाए।

(ई) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शाखाओं की रिपोर्टें किसी एक पद्धति अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक या मैन्युअल द्वारा ही भेजी जाएँ।

(एफ) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रधान अधिकारी द्वारा समग्र रूप में गैर बैंकिंग वित्तीयकंपनी के समूचे नकदी लेनदेनों की रिपोर्ट का सारांश विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार भौतिक रूप में संकलित किया जाना चाहिए। इस संक्षिप्त रिपोर्ट पर

प्रधान अधिकारीके हस्ताक्षर होने चाहिए तथा मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

6. 5 अप्रैल 2006 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 7 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे एफआइयू-आइएनडी को भेजी जाने वाली नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। एफआइयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अब भी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टें फाइल की जानी शेष हैं। अतः सूचित किया जाता है कि उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में जहां सभी शाखाएं अभी तक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रधान अधिकारी को चाहिए कि वह कंप्यूटरीकृत नहीं हुई शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को छांटकर(उचित रूप में व्यवस्थित कर), उन्हें एफआइयू-आइएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट http://fiuindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गयी सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज की सहायता से एक इलैक्ट्रॉनिक फाइल में फीड करने की उपयुक्त व्यवस्था करे।

7. एनबीएफसी को ऐसे खातों के परिचालन में प्रतिबंध नहीं लगाना है जहां एसटीआर प्रस्तुत किया गया है। तथापि यह सुनिश्चित किसी भी स्तर पर ग्राहक के लिए टिपिंग ऑफ नहीं है। यह संभव है कि कुछ मामलों में ग्राहक से कुछ ब्योरा अथवा दस्तावेजो को उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है और लेनदेन को परित्यक्त / निष्फल छोड़ा जा सकता है। एनबीएफसी को ऐसे लेनदेन संबंधी सूचना की रिपोर्टिंग एसटीआर में करनी है।, यफ्यपि यह ग्राहक द्वारा पूरा नहीं किया गया हो तथा राशि कितनी भी हो।

8. सीटीआर के संबंध में यह पुनः सूचित किया जाता है कि दस लाख रुपये की उच्चतम सीमा (कट आफ लिमिट) आपस में जुड़े नकद लेनदेनों पर भी लागू होगी। इसके अलावा, एफआइयू-आइएनडी के साथ विचार - विमर्श करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि

ए) आपस में जुड़े नकद लेनदेनों को निर्धारित करने के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एक कैलेंडर महीने के दौरान किसी खाते में किए गए ऐसे सभी अलग-अलग नकद लेनदेनों को ध्यान में लेना होगा जहां नामे अथवा जमा प्रविष्टियों का अलग-अलग योग महीने के दौरान दस लाख रुपये से अधिक है। तथापि, सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम के अलग-अलग नकद लेनदेनों के ब्यौरों को न दर्शाया जाए। आपस में जुड़े नकद लेनदेनों का उदाहरण अनुबंध - 1 में दिया गया है।

बी) सीटीआर में केवल वही लेनदेन होने चाहिए **जो** गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी **ने अपने ग्राहकों की ओर से किए हैं जिसमें** गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आंतरिक खातों के बीच किए गए लेनदेन शामिल नहीं होंगे।

सी) जहां जाली अथवा नकली भारतीय मुद्रा नोटों का असली नोटों के रूप में उपयोग किया गया हो, वहां ऐसे सभी नकद लेनदेनों की सूचना प्रधान अधिकारी द्वारा

अनुबंध II तथा III में दिए गए फॉर्मेट में एफआइयू-आइएनडी को तत्काल भेजी जानी चाहिए। अनुबंध IV में इलेक्ट्रानिक डाटा का ढांचा दिया गया है ताकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इलेक्ट्रानिक फार्म में 'जाली मुद्रा संबंधी रिपोर्ट (सीसीआर)' तैयार कर सकें। इन नकद लेनदेनों में ऐसे लेनदेन भी शामिल होने चाहिए जहां मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेजों की जालसाजी की गई हो तथा यह सूचना एफआइयू-आइएनडी को प्लेन टेक्स्ट में भेजी जानी चाहिए।

रिपोर्टिंग के लिए विधित डाटा फाइल को एफआईयू-आईएनडी के बेवसाइट (http://fiuindia.gov.in) के डाउनलोड भाग में नई एकल एक्सएमएल से प्रतिस्थापित किया गया है। सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि वे सावधानीपूर्वक नई रिपोर्टिंग फार्मेट का अवलोकन करें तथा रिपोर्ट बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये, जो कि नई एक्सएमएल रिपोर्टिंग फार्मेट विनिर्देश में विनिर्दिष्ट है।

[3]वित्तीय आसूचना एकक –भारत ने अब अपने 28 अगस्त 2012 के पत्र एफ सं: 9-29/2011 एफआईयू-आईएनडी द्वारा सूचित किया है कि सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इलेक्ट्रानिक पद्धति से अपलोड करने की अपनी क्षमता की परख करने के लिए 31 अगस्त 2012 से फिन –नेट गेटवे पर "टेस्ट मोड" में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आरंभ करना चाहिए। वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परियोजना के "गो –लाइव" होने के बारे में सूचित करने तक "टेस्ट मोड" में इस प्रकार प्रस्तुति जारी रहेगी।

[4]अब यह परियोजना सक्रिय (लाइव) हो गया है अत: एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वह रिपोर्ट की प्रस्तुति सीडी में नहीं करें और केवल नए एक्सएमएल रिपोर्टिंग फारमेट में फिननेट गेटवे पर अपलोड करें। सीडी के रूप में किसी भी रिपोर्ट की प्रस्तुति को एफआईयू-आईएनडी द्वारा मान्य प्रस्तुति नहीं माना जाएगा। रिपोर्ट की प्रस्तुति के संबंध में किसी प्रकार सहायता/स्पष्टिकरण हेतु आप एफआईयू-आईएनडी के हेल्पडेस्क @ ई-मेल अथवा टेलिफोन नम्बर 011-24109792 / 93 पर संपर्क कर सकते है।

9. 21 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धन शोधन निवारण उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक ग्राहक का जोखिम वर्गीकरण के अनुसार प्रोफाइल बनाए। 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि. 68/03.10.042/2005-06 के पैराग्राफ 4 के द्वारा कहा गया था कि जोखिम वर्गीकरण के अनुसार आवधिक समीक्षा पर जोर दिया जाए। लेनदेन पर

[3] 16 अक्तूबर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.307/03.10.42/2012-13

[4] 22 अप्रैल 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.375/03.10.42/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

नियंत्रण के मद्देनज़र, एनबीएफसी से अपेक्षित है कि उचित साफ्ट वेयर एप्लिकेशन बनाये जो लेनदेन के समय जोखिम वर्गीकरण सम्मिलित करते हुए ग्राहक के प्रोफाइल के संबंध में अलर्ट जारी करें। यह यह कहने की आवश्यकता नहीं है ग्राहको के प्रभावी पहचान तथा संदेहजनक लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए मजबूत साफ्टवेयर शामिल किया जाए जो आवश्यक अलर्ट जारी करें।

10. परिपत्र के पैराग्राफ 4 के अनुबंध VI में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और लेनदेन के ऐसे असामान्य स्वरूप की ओर विशेष ध्यान दें जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा विधि सम्मत प्रयोजन न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक संभव हो ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेज / कार्यालयीन अभिलेख/ ज्ञापन सहित उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके प्रयोजन की जांच की जाए तथा शाखा तथा प्रधान अधिकारी दोनों स्तर पर प्राप्त निष्कर्षों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाए। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार इन अभिलेखों को दस वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाना है। लेनदेनों की संवीक्षा से संबंधित कार्य करने में लेखापरीक्षकों की सहायता के लिए तथा रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी ऐसे रिकार्ड तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ।

11. एसटीआर तैयार करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पूर्वोक्त नियमावली के नियम 2 (छ) में निहित 'संदिग्ध लेनदेन' की परिभाषा को ध्यान में रखें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ **लेनदेन की राशि पर** तथा /अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग - ख में निरूपित अपराधों के लिए परिकल्पित न्यूनतम सीमा पर ध्यान दिए बिना एसटीआर तब बनाए जाएं जब यह विश्वास करने के लिए उनके पास उचित आधार हो कि लेनदेन में सामान्यतः अपराध से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

12. धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियम, 2009/10- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के दायित्व

भारत सरकार ने 12 नवंबर 2009 की अधिसूचना सं. 13/2009/एफ. नं. 6/8/2009-ईएस के द्वारा धनशोधन निवारण (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) नियमावली, 2005 को संशोधित किया है। गैर बैंकिंग वित्तीय

कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे पीएमएलए नियम के संशोधित उपबंधों का कड़ायी से अनुपालन करें और उनका सावधानी पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

13. जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी

अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर 01 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी सं: 231/03.10.42/2011-12 के अनुबंध vi के पैराग्राफ 2 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक ग्राहक की एक जोखिम प्रोफाइल तैयार करें और उच्चतर जोखिम ग्राहकों के लिए गहन 'उचित सावधानी' लागू करें । उच्चतर सावधानी की आवश्यकता वाले ग्राहकों के कुछ उदाहरण भी संदर्भाधीन पैराग्राफ में दिए गए हैं । इसके अलावा इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध vi के पैराग्राफ 5 के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि वे किसी लेनदेन, खाता या बैंकिंग/व्यवसाय संबंध को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां, प्रणालियां तथा क्रियाविधियां स्थापित करें ।

भारत सरकार ने भारत में धनशोधन एवं आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों, धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध की एक राष्ट्रीय रणनीति तथा धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के संस्थागत ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय धनशोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिम मूल्यांकन समिति का गठन किया था । धनशोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिम के मूल्यांकन से सक्षम प्राधिकारियों तथा विनियमित संस्थाओं दोनों को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए धनशोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहायता मिलती है । इससे संसाधनों के न्याय संगत एवं दक्ष आबंटन में मदद मिलती है और धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध की व्यवस्था मजबूत होती है । उक्त समिति ने जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने, जोखिम के मूल्यांकन तथा एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के बारे में सिफारिशें की हैं जो इस मूल्यांकन का प्रयोग धनशोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण का कारगर ढंग से प्रतिरोध करने में करेगी । भारत सरकार ने समिति की सिफारिशें मान ली हैं और उन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ।

तदनुसार, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियां को 1 जुलाई 2011 का उक्त हमारे मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत उल्लिखित परिपत्र में निर्धारित मदों के अतिरिक्त ग्राहकों, देशों तथा भौगोलिक क्षेत्रों और उत्पादों/ सेवाओं/ लेनदेनों / सुपुर्दगी चैनलों में भी अपने धनशोधन/आतंकी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाना चाहिए । जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए कारगर ढंग से अपने जोखिम का प्रबंधन करने तथा उसे कम करने के लिए नीतियां, नियंत्रण तथा क्रियाविधियां स्थापित होनी चाहिए जो उनके बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित हों । इसी के एक उप-सिद्धांत के रूप में गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे मध्यम एवं उच्च जोखिम रेटिंग के साथ उत्पादों, सेवाओं तथा ग्राहकों के लिए सघन उपाय करें । इस संबंध में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बैंकिंग क्षेत्र में धनशोधन/आतंकी वित्तपोषण के जोखिमों के मूल्यांकन की दिशा में पहल की है। आईबीए ने जुलाई 2009 में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर मार्गदर्शी नोट तैयार की है मार्गदर्शी नोट

आईबीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे तथा जोखिम आधारित लेनदेन नियंत्रण पर उनकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि को 18 मई 2011 को अपने सदस्य बैंकों के बीच परिचालित किया गया है। आईबीए मार्गदर्शी नोट में उच्च जोखिम ग्राहकों, उत्पादों तथा भौगोलिक क्षेत्रों की एक सांकेतिक सूची भी दी गई है । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने जोखिम मूल्यांकन में इसका बतौर मार्गदर्शी सिद्धांत उपयोग कर सकते हैं ।

[5]केवाईसी/ एएमएल/सीएफ़टी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान सभी ग्राहकों का जोखिम संवर्गीकरण, ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) का समेकन व अद्यतन करने की प्रक्रिया समयबद्ध रीति से, लेकिन किसी भी हालत में मार्च 2013 के अंत तक, पूरा कर लें।

III. आतंकवाद के वित्त्पोषण के खिलाफ संघर्ष

धनशोधन निवारण अधिनियम संबंधी नियमावली के अनुसार संदिग्ध लेनदेन में, अन्य बातों के साथ-साथ, वे लेनदेन शामिल हैं जो आतंकवाद से संबधित गतिविधियों का वित्तपोषण किये जाने के संदेह के लिए पर्याप्त आधार मुहैया कराते हें। इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि आतंकी संबंधों के होने के संदेह वाले खातों की और अधिक निगरानी करने एवं ऐसे लेनदेनों की त्वरित पहचान करके वित्तीय आसूचना-एकक-भारत (FIU-IND) को उचित रिपोर्ट वरीयता से भेजने के लिए उचित नीतिगत ढांचे की मार्फत एक तंत्र विकसित करें।

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विविध संकल्पों के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा व्यक्तियों तथा संस्थाओं की अनुमोदित सूची भारत सरकार से जब भी प्राप्त होती है, रिज़र्व बैंक उसे सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) में परिचालित करता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सूची को समेकित एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं की अद्यतन सूची संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml. से प्राप्त की जा सकती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि नए खाते खोलने से पूर्व वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का /ग्राहक के नाम ऐसी सूची में न हो। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (उनके पास रखे गए) सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें किसी ऐसी संस्था/ व्यक्ति का नाम न हो जो ऐसी सूची में दर्ज हो। उक्त सूची में शामिल किसी व्यक्ति/संस्था से सादृश्य वाले व्यक्ति/संस्था के खाते का पूरा ब्योरा तुरंत भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्तीय आसूचना-एकक-भारत (FIU-IND) को प्रस्तुत किया जाए।

2. यह ध्यान देने योग्य है कि अपराधियों द्वारा बैंकिंग/वित्तीय चैनल का दुरुपयोग करने पर रोकने लगाने को सुनिश्चत करने के लिए केवाईसी/एएमएल स्टैंडर्ड/सीएफटी उपायों का निर्धारण

[5] 26 जुलाई 2012 का डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं.298/03.10.42 /2012-13 द्वारा शामिल।

किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कार्मिकों की भर्ती/उन्हें भाड़े पर लेने को पर्याप्त जांच तंत्र का अभिन्न अंग बनाएं।

3. स्टाफ में केवाईसी/एएमएल के संबंध में जागरूकता और संदिग्ध लेन-देनों के संबंध में सतर्कता लाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 5 अगस्त 2008 के कंपनी परिपत्र सं. 126 के अनुबंध V में अंतर्विष्ट उदाहरणरूपी संदिग्ध गतिविधियों/कार्यों की सूची पर विचार करें/ देखें।

4. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) की संस्तुतियों को लागू न करने वाले या अपर्याप्त रूप में लागू करने वाले देश वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप जैसे देशों में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण (AML/CFT) के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण राजनीतिक खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में विभिन्न बयान जारी किया है। जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा जारी बयान में विनिर्दिष्ट सूचना पर विचार करें तथापि जो वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की संस्तुतियों को लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप में लागू करते हैं इन देशों के व्यक्तियों (कानून कार्य संबंधी व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) या ऐसे देशों से कारोबारी संबंध रखने या लेनदेन करने के मामलों पर विशेष ध्यान दें।

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के बयान में शामिल क्षेत्रों या ऐसे देशों जिन्होने वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के बयान में की गई संस्तुतियों को लागू नहीं किया है या अपर्याप्त रूप से लागू किया है के व्यक्तियों (कानूनी कार्य संबंधी व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) की पृष्ठभूमि तथा लेनदेनों की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा, यदि लेनदेन प्रकटत: कोई आर्थिक या प्रकट विधिक प्रयोजन से न किया गया प्रतीत हो तो ऐसे लेनदेन की भूमिका तथा प्रयोजन, जहाँ तक संभव हो, जांचना चाहिए तथा प्राप्त निष्कर्ष लिखित रूप में सभी दस्तावेजों के साथ अनुरक्षित रखने चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारी के अनुरोध पर उपलब्ध कराने चाहिए।

5. निगरानी

अनुबंध VI के पैराग्राफ 4 के अनुसार केवाईसी प्रक्रिया के ऑंगोइन निगरानी महत्वपूर्ण घटक है। गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) के बयान शामिल क्षेत्राधिकार तथा देश जो वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) की संस्तुतियों को लागू नहीं करते हैं इनसे (कानूनी संस्थान तथा अन्य वित्तीय संस्थान सहित) कारोबार संबंध तथा विनियम करते समय उनकी पृष्ट्भूमि तथा लेनदेन के उद्देश्य का परीक्षण अवश्य किया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि लेन देन आर्थिक अथवा कानूनी उद्देश्य नहीं दिखता है तब जहां तक संभव हो ऎसे लेन देनों की पृष्टिभूमि तथा उद्देश्य की जांच की जाए और सभी दस्तावेजों

के साथ लिखित दस्तावेजों को बनाए रखा जाए औत भारतीय रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों के मांगने पर उन्हें प्रस्तुत किया जाए।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अधिक जोखिमवाले ग्राहकों पर समुचित सावधानी उपाय को बढाने की आवश्यकता है. अधिक समुचित सावधानी की आवश्यकता हेतु ग्राहकों के कुछ निदर्शी उदाहरण भी संदर्भित पैराग्राफ के तहत दिया गया है. इसके अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि बडे नकद कारोबार में जोखिम होने की संभावनाओं को देखते हुए, बुलियन डिलर के खाते (उप डिलर सहित) तथा ज्वेलर्स को भी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां समुचित सावधानी बढाने की आवश्यकता के तहत "उच्च जोखिम" के रूप में वर्गीकृत करें.

"अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी कारगर क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्व है इसके निंरतर निगरानी. हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सूचित किया जाता है कि "उच्च जोखिमवाले खाते" के लेनदेन पर भी सख्त निगरानी रखने की आवश्कता है. ऎसे खाते के साथ जुडे उच्च जोखिम का ध्यान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा संदिग्ध खाते को पहचान कर वित्तीय आसूचना एकक -भारत (एफआईयु-एनडी) को प्रस्तुत किए जाने वाले संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) में भरा जाए.

IV गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमा खातों का परिचालन तथा धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति

आपराधिक तत्वों द्वारा धनशोधन अथवा आपराधिक गतिविधियों का वित्तपोषण करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के इरादतन या गैर इरादतन दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने "अपने ग्राहक को जानिए" मानदण्ड / धन शोधन निवारक मानक /धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 संबंधी दिशा निर्देश जारी किए है जिन्हें 01 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (नी प्र) कंपरि संख्या:184/03.10.42/2010-11 में समेकित किया गया है.

यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है कि अपराधियों द्वारा धोखाधडी वाली योजनाओं (उदाहरण के लिए फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए ऎसे व्यक्तियों की सेवा ली जाती है जो धन शोधन के माध्यम बन जाते है. ऎसे अपराधी इन तीसरे पक्षकारों को "धन शोधन के माध्यम" के रूप में कार्य करने के लिए राजी कर अवैध रूप से जमा खातों तक पहुच बना लेते है. कुछ मामलों में ये तीसरे पक्षकार निर्दोष हो सकते है लेकिन अन्य मामलों में अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत हो सकती है.

<u>यह दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45के और 45एल के तहत जारी किया गया है तथा इसका किसी प्रकार से उल्लघंन अथवा गैर अनुपालन</u>

हेतु अधिनियम के तहत तथा धन शोहन निवारण (लेनदेन के मूल्य तथा प्रकृति के अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव करने की प्रक्रिया और पद्धति तथा सूचना प्रस्तुति का समय व बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों के संबंध में पहचान का उचित रख रखाव) विनियम, 2005 के नियम 7 के तहत दंड का प्रावधान है।

xxx

अनुबंध - I

<u>आपस में जुड़े नकद लेनदेन का उदाहरण</u>

अप्रैल 2008 माह के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निम्नलिखित लेनदेन हुए

तारीख	**माध्यम**	**नामे (रुपये में)**	**जमा (रुपये में)**	**शेष (रुपये में) आगे लाया गया (B/F) - 8,00,000.00**
02/04/2008	नकद	5,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000.00
07/04/2008	नकद	40,000.00	2,00,000.00	7,60,000.00
08/04/2008	नकद	4,70,000.00	1,00,000.00	3,90,000.00
मासिक संकलन		**10,10,000.00**	**6,00,000.00**	

i) उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए उदाहरण में जो नामे लेनदेन हैं वे आपस में जुड़े नकद लेनदेन हैं क्योंकि कैलेंडर माह के दौरान कुल नकद नामे लेनदेन 10 लाख रुपये से अधिक हैं। तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को केवल 02/04 तथा 08/04/2008 को हुए लेनदेनों को रिपोर्ट करना चाहिए। 07/04/2008 के नामे लेनदेन को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अलग से रिपोर्ट न करें क्योंकि वह 50,000/- रुपये से कम है।

ii) उपर्युक्त उदाहरण में दिए गए सभी जमा लेनदेनों को आपस में जुड़ा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि माह के दौरान जमा लेनदेन का कुल योग दस लाख रुपये से अधिक नहीं है। अतः, 02, 07 तथा 08/04/2008 के जमा लेनदेन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए ।

*****

ANNEX - II

COUNTERFEIT CURRENCY REPORT (CCR)

Kindly fill in CAPITAL. Read the instructions before filling the form.

PART 1 DETAILS OF REPORTING BRANCH/LOCATION

1.1 Name of Entity

1.2 Name of Branch

1.3 Branch Reference Number

1.4 ID allotted by FIU-IND

1.5 Address *(No., Building)*

1.6 Street/Road

1.7 Locality

1.8 City/Town, District

1.9 State, Country

1.10 Pin code

1.11 Tel *(with STD code)*

1.12 Fax

1.13 E-mail

PART 2 DETAILS OF COUNTERFEIT CURRENCY

	Denomination	Number of pieces	Value
2.1	1000		
2.2			
2.3			
2.4			
2.5	20		
2.6	10		
2.7			

2.8 **Total Value of Counterfeit Currency**

PART 3 DETAILS OF DETECTION

3.1 Date of Cash Tendering

3.2 Total Cash Deposited

3.3 Date of Detection

3.4 Detected at

A Cash Counter

B Branch Level

C Currency Chest

D RBI's CVPS

Z Other

3.5 Whether local police station has been informed Yes No

3.6 Details of FIR (*if available*)

3.7 Additional Information, if any

PART 4 DETAILS OF RELATED PERSONS

4.1 Name of Tendering Person

4.2 Name of Account Holder

4.3 Account / Card No.

Signature

Name

Designation

DO NOT FILL. FOR FIU-IND USE ONLY. CCR

COUNTERFEIT CURRENCY REPORT (CCR)

INSTRUCTIONS

GENERAL INSTRUCTIONS

Under the Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA), every reporting entity is required to furnish details of all cash transactions where forged or counterfeit currency notes of bank notes have been used as genuine. These transactions should be reported to Director, Financial Intelligence Unit, India not later than seven working days from the date of occurrence of such transactions.

HOW TO SUBMIT

Every reporting entity branch must submit this form to the Director, FIU- IND only through the principal officer designated under PMLA.

Note: A separate Counterfeit Currency Report (CCR) should be filed for each incident of detection of counterfeit Indian currency. If the detected counterfeit currency notes can be segregated on the basis of tendering person, a separate CCR should be filed for each such incident.

EXPLANATION OF SPECIFIC TERMS

PART 1: DETAILS OF REPORTING BRANCH / LOCATION

This section contains details of the branch/location where the counterfeit currency was detected.

1.1 Mention name of the reporting entity (bank, financial institution).

1.2 Mention name of the reporting branch/location.

1.3 Mention any unique number issued by the regulator or any temporary code to uniquely identify each branch/ location.

1.4 ID allotted by FIU-IND may be left blank till the same is communicated by FIU-IND.

1.10 Pincode should be a valid 6 digit numeric pincode of the branch/location.

PART 2: DETAILS OF COUNTERFEIT CURRENCY

This section contains the details of counterfiet currency. Total value of counterfeit currency should match with the total calculated value of Denomination x Number of pieces.

PART 3: DETAILS OF DETECTION

3.1 Mention the date on which cash was tendered, if available. Date should be reported in YYYYMMDD format. E.g. 2nd May, 2007 should be entered as 20070502.

3.2 Mention the total cash tendered by the renderer including counterfeit currency, if available.

3.3 Mention the date on which counterfeit currency was detected in YYYYMMDD format. E.g. 2nd May 2007 should be entered as 20070502.

3.4 Select from the following counterfeit currrency detection stages

"A"- Cash Counter by the teller
"B"- Branch Level during sorting
"C"- Currency Chest while counting
"D"- Currency Verification and Processing System at RBI
"Z"- Other

3.5 Mention Yes, if local police station has been informed.

3.6 Mention details of FIR, polic station etc., if available.

3.7 Mention addtional information such as quality of counterfeit currency, sequence of events, if available.

PART 4: DETAILS OF RELATED PERSONS

4.1 Person who tendered the counterfeit currency, if available.

4.2 Name of the sole/first account holder in whose account counterfiet currency was tendered, if available.

4.3 Account/Card Number of the person in whose account the counterfeit currency was tendered, if available.

The form should be signed by an officer at the branch/controlling office/head office.

ANNEX - III

FIU-IND | Financial Intelligence Unit- India

SUMMARY OF COUNTERFEIT CURRENCY REPORTS

Kindly fill in CAPITAL. Read the instructions before filling the form.

PART 1 DETAILS OF THE PRINCIPAL OFFICER

1.1 Name of Reporting Entity

1.2 Branch Reference Number

1.3 ID allotted by FIU-IND

1.4 Category of Entity *(Refer to Instructions)*

1.5 Name of Principal Officer

1.6 Designation

1.7 Address *(No., Building)*

1.8 Street/Road

1.9 Locality

1.10 City/Town, District

1.11 State, Country

1.12 Pin code

1.13 Tel *(with STD code)*

1.14 Fax

1.15 E-mail

PART 2 STATISTICS

2.1 Number of Counterfeit Currency Reports enclosed

2.2 Total Value of Counterfeit Currency

DO NOT FILL. FOR FIU-IND USE ONLY

ACK. NO.

DATE 2 0 0
D D M M Y Y Y Y

Signature

Name

(Should be same as the person mentioned in PART 1)

Date

DO NOT FILL. FOR FIU-IND USE ONLY. CCRS

SUMMARY OF COUNTERFEIT CURRENCY REPORTS (CCRs)

INSTRUCTIONS

GENERAL INSTRUCTIONS

Under the Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA), every reporting entity (bank, financial instituion, intermediary) is required to furnish details of all cash transactions where forged or counterfeit currency notes of bank notes have been used as genuine. These transactions should be reported to Director, Financial Intelligence Unit, India not later than seven working days from the date of occurrence of such transactions.

One CCR should be submitted for each incident of detection of counterfeit Indian currency. If the counterfeit currency detected can be segregated on the basis of tendering person, a separate CCR should be filed for each such incident.

How to submit

The principal officer should submit this summary alongwith CCRs received from branches /locations to the Director, FIU-IND.

Address Director, FIU-IND
Financial Intelligence Unit-India
6th Floor, Hotel Samrat
Chanakyapuri, New Delhi -110021
India

EXPLANATION OF SPECIFIC TERMS

PART 1: DETAILS OF THE PRINCIPAL OFFICER

1.3. ID allotted by FIU-IND may be left blank till the same is communicated by FIU-IND.

1.4. Category of the reporting entity
"A"-Public Sector Bank
"B"-Private Sector Bank
"C"-Foreign Bank
"D"-Co-operative Bank
"E"-Regional Rural Bank
"F"-Local Area Bank
"Z"-Other

1.5. Principal officer is the officer designated under PMLA.

PART 2: STATISTICS

2.1. Number of Counterfeit Currency Reports enclosed.

2.2. Total Value of counterfeit currency detected in the enclosed reports. (Sum of value is in 2.8 of each CCR).

ALL CCRs MUST BE ENCLOSED.

ANNEX - IV

ELECTRONIC DATA STRUCTURE

Report	**COUNTERFEIT CURRENCY REPORT**
Version	**1.0**

Contents

1. Introduction 2
2. Counterfeit Currency Report 2
3. Due Date 3
4. Methods of filing 3
5. Manual format 3
6. Electronic format 3
7. Description of Data Files 4
8. Steps in preparation of data files 4
9. Steps in validation /sufficiency of data files 4
10. General Notes for all Data Files 4
11. Data Structure of Control File (CCRCTL.txt) 5
12. Data Structure of Branch File (CCRBRC.txt) 7
13. Data Structure of Transaction File (CCRTRN.txt) 8

Appendix

Counterfeit Currency Report
Summary of Counterfeit Currency Report

1. Introduction

The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) forms the core of the legal framework put in place by India to combat money laundering. PMLA and the Rules notified thereunder came into force with effect from July 1, 2005. Director, FIU-IND and Director (Enforcement) have been conferred with exclusive and concurrent powers under relevant Sections of the Act to implement the provisions of the Act.

2. Counterfeit Currency Report

The PMLA and Rules notified thereunder impose an obligation on banks, financial institutions and intermediaries of the securities market (reporting entity) to furnish details of all cash transactions where forged or counterfeit currency notes of bank notes have been used as genuine to the Director, FIU-IND.

A separate Counterfeit Currency Report (CCR) should be filed for each incident of detection of counterfeit Indian currency. If the detected counterfeit currency notes can be segregated on the basis of tendering person, a separate CCR should be filed for each such incident.

3. Due Date

These transactions should be reported to Director, Financial Intelligence Unit, India not later than seven working days from the date of occurrence of such transactions.

4. Methods of filing

The CCR should be submitted to the Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) at the following address:

Director, FIU-IND
Financial Intelligence Unit-India
6th Floor, Hotel Samrat
Chanakyapuri, New Delhi -110021, India
(Visit http://fiuindia.gov.in for more details)

Counterfeit Currency Reports can be filed either in manual or electronic format. However, the reporting entity must submit all reports to FIU-IND in electronic format if it has the technical capability to do so.

For reporting entities, which do not have technical capacity to generate report in electronic form, a report preparation utility for preparation of electronic Counterfeit Currency Report (CCRRPU.xls) can be downloaded from the website of the FIU-IND at http://fiuindia.gov.in

5. Manual format

Counterfeit Currency Reports in manual format consists of following forms:

Form	Information	Completed by
Summary of Counterfeit Currency Reports	Contains summary of enclosed CCRs	Principal officer of the reporting entity
Counterfeit Currency Report	Details of branch and counterfeit currency.	Reporting branch/office

The above forms are given in the Appendix.

6. Electronic format

FIU-IND is in the process of developing technological infrastructure to enable submission of electronic return over a secure gateway. In the interim, the reporting entities should submit the following to Director, FIU-IND:

i) One CD containing three data files in prescribed data structure. A label mentioning name of the reporting entity, Unique code, type of report (CCR), report dated should be affixed on each CD for the purpose of identification.

ii) Each CD should be accompanied by Summary of Counterfeit Currency Report for Reporting entity (same form should be used for both manual as well as electronic format) in physical form duly signed by the principal officer. This summary should match with the data in Control File (CCRCTL.txt).

Important:

i) In case the size of data files exceeds the capacity of one CD, the data files should be compressed by using Winzip 8.1 or ZipItFast 3.0 (or higher version) compression utility only to ensure quick and smooth acceptance of the file.

ii) The CD should be virus free.

7. Description of Data Files

In case of electronic filing, the consolidated CCR data should have following three data files:

S No.	Filename	Description
1	CCRCTL.txt	Control File
2	CCRBRC.txt	Branch File
3	CCRTRN.txt	Transaction File

8. Steps in preparation of data files

i) The details of counterfeit currency should be captured in the Transaction File (CCRTRN.txt).

ii) The details of branches should be captured in the Branch File (CCRBRC.txt).

iii) The report level details and summary should be captured in the Control file. (CCRCTL.txt)

9. Steps in validation /sufficiency of data files

i) There should be three data files with appropriate naming convention.

ii) The data files should be as per specified data structure and business rules.

iii) None of the mandatory fields should be left blank.

iv) All dates should be entered in YYYYMMDD format.

v) The summary figures in control file should match with the totals in other data files.

vi) [Branch Reference Number] should be unique in Branch Data File (CCRBRC.txt)

vii) All values of [Branch Reference Number] in Transaction Data File (CCRTRN.txt) should have matching [Branch Reference Number] value in Branch Data File (CCRBRC.txt)

10. General notes for all Data Files

i) All Data Files should be generated in ASCII Format with ".txt" as filename extension.

ii) Each Record (including last record) must start on new line and must end with a newline character. Hex Values: "0D" & "0A".

iii) All CHAR fields must be left justified.

iv) If CHAR field has no data or less data with respect to defined length, then the entire field (in case of no data) or the remaining field (in case of less data) has to be filled with right justified blank characters (Spaces).

v) All NUM fields must be right justified.

vi) If NUM field has no data or less data with respect to defined length, then the entire field (in case of no data) or the remaining field (in case of less data) has to be filled with left justified zeroes.

vii) If DATE field has no data then the entire field has to be filled with blank characters (Spaces).

viii) Fields with an asterisk (*) have to be compulsorily filled up.

ix) For fields that do not have an asterisk (*), reasonable efforts have to be made to get the information. Enter "N/A" to indicate that the field is not applicable. Do not substitute any other abbreviations or special characters (e.g., "x", "-" or "*").

11. Data structure of Control File (CCRCTL.txt)

S. No.	Field	Type	Size	From	To	Remarks
1.	Report Name*	CHAR	3	1	3	Value should be "CCR" signifying Counterfeit Currency Report
2.	Serial Number of Report*	NUM	8	4	11	Indicates the running sequence number of CCR for the reporting entity starting from 1
3.	Record Type*	CHAR	3	12	14	Value should be "CTL" signifying Control file
4.	Report Date*	NUM	8	15	22	Date of sending report to FIU-IND in YYYYMMDD format
5.	Reporting Entity Name*	CHAR	80	23	102	Complete name of the reporting entity (Bank, financial institution, intermediary)
6.	Reporting Entity Category*	CHAR	1	103	103	"A"-Public Sector Bank "B"-Private Sector Bank "C"-Foreign Bank "D"-Co-operative Bank "E"-Regional Rural Bank "F"-Local Area Bank "Z"-Other
7.	Unique code of the Reporting Entity*	CHAR	12	104	115	Unique code issued by the regulator, if applicable
8.	Unique ID issued by FIU*	CHAR	10	116	125	Use XXXXXXXXXX till the ID is communicated
9.	Principal Officer's Name*	CHAR	80	126	205	Field + filler spaces = 80
10.	Principal Officer's Designation*	CHAR	80	206	285	Field + filler spaces = 80
11.	Principal Officer's Address1*	CHAR	45	286	330	No., Building Field + filler spaces = 45
12.	Principal Officer's Address2	CHAR	45	331	375	Street/Road Field + filler spaces = 45
13.	Principal Officer's Address3	CHAR	45	376	420	Locality Field + filler spaces = 45
14.	Principal Officer's Address4	CHAR	45	421	465	City/Town, District Field + filler spaces = 45
15.	Principal Officer's Address5	CHAR	45	466	510	State, Country Field + filler spaces = 45

16.	Principal Officer's Pin code*	NUM	6	511	516	Pin code without "-" or space
17.	Principal Officer's Telephone	CHAR	30	517	546	Telephone in format STD Code-Telephone number
18.	Principal Officer's FAX	CHAR	30	547	576	Fax number in format STD Code-Telephone number
19.	Principal Officer's E-mail	CHAR	50	577	626	E-mail address
20.	Report Type*	CHAR	1	627	627	"N"- New Report "R"- Replacement to earlier submitted report
21.	Reason for Replacement*	CHAR	1	628	628	"A" – Acknowledgement of Original Report had many warnings or error messages. "B" – Operational error, data omitted in Original Report. "C" – Operational error, wrong data submitted in Original Report. "N"- Not Applicable as this is a new report "Z"- Other Reason
22.	Serial Number of Original Report *	NUM	8	629	636	Serial Number of the Original Report which is being replaced. Mention 0 if Report Type is "N"
23.	Operational Mode*	CHAR	1	637	637	"P"- Actual/ Production mode "T"- Test / Trial mode
24.	Data Structure Version*	CHAR	1	638	638	Value should be 1 to indicate Version 1.0
25.	Number of Counterfeit Currency Reports*	NUM	8	639	646	Number of CCRs enclosed in this summary. This figure should match with the number of records in CCRTRN.txt
26.	Total Value of Counterfeit Currency*	NUM	12	647	658	Total Value of Counterfeit Currency reported in enclosed CCRs. This figure should match with the sum of the Field Total Counterfeit Currency (S. No. 11) in CCRTRN.txt

12. Data structure of Branch File (CCRBRC.txt)

S. No.	Field	Type	Size	From	To	Remarks
1.	Record Type	CHAR	3	1	3	Value should be "BRC" signifying Control file
2.	Line Number*	NUM	6	4	9	Running Sequence Number for each line in the file starting from 1. This Number will be used during validation checks.
3.	Name of Branch*	CHAR	80	10	89	Name of branch/location where the counterfeit currency was tendered Field + filler spaces = 80
4.	Branch Reference Number*	CHAR	12	90	101	Unique Code issued by the regulator or any temporary code to uniquely identify each branch/office
5.	Unique ID issued by FIU*	CHAR	10	102	111	Use XXXXXXXXXX till the ID is communicated
6.	Branch Address1*	CHAR	45	112	156	No., Building Field + filler spaces = 45
7.	Branch Address2*	CHAR	45	157	201	Street/Road Field + filler spaces = 45
8.	Branch Address3	CHAR	45	202	246	Locality Field + filler spaces = 45
9.	Branch Address4	CHAR	45	247	291	City/Town, District Field + filler spaces = 45
10.	Branch Address5	CHAR	45	292	336	State, Country Field + filler spaces = 45
11.	Branch Pin code*	NUM	6	337	342	Pin code without "-" or space
12.	Branch Telephone	CHAR	30	343	372	Telephone number in format STD Code-Telephone number
13.	Branch Fax	CHAR	30	373	402	Fax number in format STD Code-Telephone number
14.	Branch E-mail	CHAR	50	403	452	E-mail address

13. Data structure of Transaction File (CCRTRN.txt)

S. No.	Field	Type	Size	From	To	Remarks
1.	Record Type*	CHAR	3	1	3	Value should be "TRN" signifying Transaction data file
2.	Line Number*	NUM	6	4	9	Running Sequence Number for each line in the file starting from 1. This Number will be used during validation checks.
3.	Branch Reference Number*	CHAR	12	10	21	Branch Reference Number of branch/location where counterfeit currency was tendered. Use any unique number issued by the regulator or any temporary code to uniquely identify each branch/ location
4.	Denomination1000	NUM	10	22	31	Number of counterfeit currency notes of Rs. 1000/- each
5.	Denomination500	NUM	10	32	41	Number of counterfeit currency notes of Rs. 500/- each
6.	Denomination100	NUM	10	42	51	Number of counterfeit currency notes of Rs. 100/- each
7.	Denomination50	NUM	10	52	61	Number of counterfeit currency notes of Rs. 50/- each
8.	Denomination20	NUM	10	62	71	Number of counterfeit currency notes of Rs. 20/- each
9.	Denomination10	NUM	10	72	81	Number of counterfeit currency notes of Rs. 10/- each
10.	Denomination5	NUM	10	82	91	Number of counterfeit currency notes of Rs. 5/- each
11.	Total Counterfeit Currency	NUM	10	92	101	Value of counterfeit currency detected. This value should match with the value derived from the number of notes mentioned in S. No. 4 to 10 above.
12.	Tendering Date	NUM	8	102	109	Date of tendering counterfeit currency in YYYYMMDD format, if available. E.g.: 2nd May 2007 should be written as 20070502
13.	Total Cash Tendered	NUM	20	110	129	Total Cash tendered by the tenderer including the counterfeit currency, if available
14.	Detection Date*	NUM	8	130	137	In YYYYMMDD format E.g.: 2nd May 2007 should be written as 20070502
15.	Detected At*	CHAR	1	138	138	"A"- Cash Counter "B"- Branch Level "C"- Currency Chest "D"- RBI's CVPS "Z"- Other

16.	Police Informed	CHAR	1	139	139	Y – for Yes, N – for No
17.	FIR Detail	CHAR	80	140	219	FIR, Police Station details etc., if available
18.	Additional Information	CHAR	80	220	299	Additional Information such as quality of counterfeit currency, sequence of events, if available
19.	Name of Tendering Person	CHAR	80	300	379	Person who tendered the counterfeit currency, if available.
20.	Name of Account Holder	CHAR	80	380	459	Name of the Sole/First account holder in whose account the counterfeit currency was tendered, if available.
21.	Account Number	CHAR	20	460	479	Account/Card Number of the person in whose account the counterfeit currency was tendered, if available.

अनुबंध-V

बडी नकद राशि में शामिल संदेहास्पद लेनदेन क्रियाकलाप की सांकेतिक सूची

कंपनी के साथ सामान्य संबंधित व्यक्ति/संस्था के साथ सामान्य वाणिज्यिक परिचालन जैसे चेक के अतिरिक्त असमान्य बडी नकद राशि के माध्यम से नामित, कंपनी लेनदेन.

लेनदेन जो आर्थिक मतलब के लिए नहीं किया गया हो.

लेनदेन जिसमें जमा करने के बाद किसी कारोबारी कार्यकलाप के बिना परिसंपत्ति का आहरण तत्काल आहरण, ग्राहक किसी अन्य कार्ण को बताते हुए तत्काल आहरण किया जाना ग्राहक कारोबार से गैर संगत कार्यकलाप

ग्राहक के कारोबार के साथ असंगत गतिविधियां

अत्यधिक बड़ी मात्रा में क्रेडिट वाले खाते किंतु कारोबार की प्रकृति ऐसे क्रेडिट के संबंध में न्यायसंगत नहीं है।

अभिलेख को रखना / रिपोर्टिंग की आवश्यकता से बचने क प्रयास

(i) एक ग्राहक जो कि आवश्यक रिपोर्ट के लिए सूचनायें उपलब्ध कराने, रिपोर्ट फाईल करने या लेनदेन के बाद रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से फाईल करने की सूचना देने के बाद भी रिपोर्ट फाईल करने के लिए अनइच्छुक,

(ii) कोई व्यक्ति या समूह जो किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या किसी अन्य फर्म के कर्मचारी को रिपोर्ट फाईल नहीं करने के लिए या रिपोर्ट से बचने के लिए मजबूर करता हो.

(iii) खाता जहां विभिन्न नकद लेन देन निम्न विशिष्ठ स्तर सीमा तक ही किया जाता हो जिससे उक्त लेनदेन के स्तर सीमा तक नहीं पहुचने से रिपोर्टिंग से बचा जा सके, जैसे ग्राहक जानबुझ कर छोटे छोटे राशि की लेनदेन करें जिससे लेनदेन की स्तर सीमा से बचा ज सके.

असमान्य कार्यकलाप

धनशोधन के लिए जाने वाले देश/केन्द्र से आने वाली निधियां

ग्राहक जो अधुरा या संदेहजनक सूचना प्रदान करता हो.

(i) ग्राहक/कंपनी जो कारोबार, प्राथमिकता कारोबार संबंध, अधिकारी या निदेशक या इसंकी स्थिति के संबंध में पूर्ण सूचना देने की इच्छा नहीं रखता हो.

(ii) ग्राहक. कंपनी जो अपने कारोबार संबंधी कार्यकलाप का विवरण या वित्तीय स्थिति का विवरण प्रकट करने में अनइच्छुक हो.

(iii) ग्राहक जिसके पास पिछला या वर्तमान रोजगार का अभिलेख नहीं हो किंतु वह बडा लेनदेन करता हो.

कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कर्मचारी को संदेह के दायरे में लाना

(i) कर्मचारी जिसका जीवन यापन का स्तर उसे प्रदत वेतन से संभव नहीं है.
(ii) कर्मचारी द्वारा किए गए रिपोर्ट को बार बार जानबुझ कर नज़र आंदाज करना.

परिचालन कर्मचारियों द्वारा निगरानी हेतु संदेहासपद कार्यकालप/ लेनदेन के कुछ उदाहरण

- बडा नकद लेनदेन
- एन नाम से बहुत सारे खाते
- निधियों को सावधि जमा में रखना तथा अन्य ऋण के लिए इसे प्रतिभूति के रूप में प्रयोग में लाना
- कार्यकलाप के स्तर में अचानक वृद्धि
- विभिन्न खातों में एक ही निधि बार बार डालना

xxx

अनुबंध-VI

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा बैंकों को जारी दिशानिर्देश

'अपने ग्राहकों को जानने' संबंधी मानदंडों तथा धनशोधन

निवारण उपायों के बारे में दिशानिर्देश (मार्गदर्शी सिद्धांत)

'अपने ग्राहकों को जानने' संबंधी मानदंड

1. "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी दिशानिर्देशों का लक्ष्य आपराधिक तत्वों द्वारा धन शोधन गतिविधियों के लिए बैंकों का इच्छित या अनिच्छित रूप से उपयोग हो जाने से रोकना है। "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी प्रक्रिया से बैंक अपने ग्राहकों एवं उनके वित्तीय लेनदेनों को बेहतर रूप में जानने/समझने में समर्थ हो सकेंगे जिससे उन्हें अपने जोखिमों को विवेकपूर्वक प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। बैंक निम्नलिखित चार मुख्य तत्वों को शामिल करके "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी अपनी नीतियों का निर्धारण करें:

i. 'ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी);

ii. ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सी आर पी);

iii. लेन-देनों की निगरानी; और जोखिम प्रबंधन

iv. "अपने ग्राहक को जानिए" नीति के प्रयोजन हेतु "ग्राहक" की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है

- कोई व्यक्ति या संस्था जो खाता खोलता /खोलती है और / या जिसका बैंक के साथ कारोबारी संबंध है;
- कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसकी ओर से खाता खोला जाता है (अर्थात् हितार्थी स्वामी);
- व्यावसायिक मध्यस्थों, जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलीसिटर इत्यादि, द्वारा, जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो, किये गये लेन-देन के हिताधिकारी, और
- किसी वित्तीय लेन-देन जो बैंक के लिए प्रतिष्ठा संबंधी या कोई अन्य बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है - जैसे किसी एक लेन-देन से रूप में तार अंतरण या उच्च मूल्य का मांग ड्राफ्ट जारी किया जाना, से जुड़ा कोई व्यक्ति या संस्था ।

ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी)

2. बैंकों को ग्राहकों को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करके एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकरण नीति तैयार करनी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक स्वीकरण नीति में बैंक में ग्राहक-संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश निश्चित कर दिये गये हैं ।

i. अज्ञातनाम / छद्मनाम से या फर्जी /बेनामी नामों से कोई खाता न खोला जाय;

ii. कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार जोखिम निर्धारण संबंधी मानदंड स्पष्टतः निश्चित कर दिए जाने चाहिए ताकि ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों (बैंक अन्य उपयुक्त नाम भी चुन सकते हैं - जैसे स्तर I, स्तर II और स्तर III) में विभाजित किया जा सके; जिन ग्राहकों के लिए बहुत उच्च स्तर की मॉनिटरिंग जरूरी है - जैसे पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को आवश्यकता पड़ने पर और उच्चतर श्रेणी में रखा जा सकता है;

iii. संभावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के मामले में दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाएँ तथा एकत्र की जाने वाली अन्य सूचना;

iv.जिन मामलों में बैंक ग्राहकों के संबंध में उचित सावधानी संबंधी उपाय लागू न कर पायें जैसे जिन मामलों में ग्राहक के असहयोग के कारण या बैंक को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों / सूचना की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम की श्रेणी के अनुसार बैंक ग्राहक की पहचान का सत्यापन कर सकने में असमर्थ हो, उन मामलों में खाता न खोलना या मौजूदा खाते बंद कर देना। तथापि, यह जरूरी है कि इस मामले में पूर्व निश्चित व्यवस्था विद्यमान हो ताकि किसी ग्राहक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। उदाहरण के लिए किसी ग्राहक को, उसका खाता बंद करने के निर्णय का कारण बताते हुए उसे उचित नोटिस देने के बाद ही, काफी उच्च स्तर पर खाता बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए ।

v.जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की ओर से काम करने की अनुमति दी जाए उनके बारे मे, स्थापित बैंकिंग विधि और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी आदेश-धारक (मैनडेट होल्डर) द्वारा कोई खाता परिचालित किया जाए या किसी मध्यस्थ द्वारा न्यासीय क्षमता में /हैसियत से खाता खोला जाए, और

vi. कोई नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से मेल न खाता हो जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो जैसे आतंकवादी व्यक्ति आतंकवादी संगठन इत्यादि)।

बैंक जोखिम की श्रेणी का ध्यान रखते हुए प्रत्येक नये ग्राहक के लिए एक प्रोफाइल तैयार करें । ग्राहक की प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक /आर्थिक हैसियत, उसके कारोबार का स्वरूप, उसके ग्राहकें के कारोबार तथा स्थान से संबंधित सूचना शामिल की जानी चाहिए। उचित सावधानी का स्वरूप और उसकी सीमा बैंक द्वारा अनुमानित जोखिम पर निर्भर होगी। तथापि, ग्राहकों की प्रोफाइल तैयार करते समय बैंकों को ग्राहकों से केवल वही सूचना मांगनी चाहिए जो

जोखिम की श्रेणी के अनुरूप (से संबंध रखती) हो तथा वे ऐसी कोई सूचना न मांगें जो अनावश्यक दखलंदाजी (अंतर्वेधी) हो। ग्राहक -प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज होगी तथा उसमें दिये गये विवरण सेवाओं के प्रतिविक्रय या किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रकट नहीं किये जाएंगे ।

जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, उन व्यक्तियों (उच्च मालियत वालों को छोड़कर) और कंपनियों को, जिनके संबंध में पहचान तथा संपत्ति के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और जिनके खातों के लेनदेन कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप हैं, कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करें। कम जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरण हैं- वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जिनके वेतन का ढांचा सुपरिभाषित है; समाज के निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग जिनके खातों में छोटी शेषराशियाँ और कम लेनदेन होता है; सरकारी विभाग एवं सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, विनियामक और सांविधिक निकाय, आदि। ऐसे मामलों में, केवल पहचान और ग्राहक के पते का सत्यापन करने की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना नीतिगत अनिवार्यता होगी। जो ग्राहक बैंक के लिए औसत से उच्चतर जोखिम पैदा करने की संभावना रखते हैं उन्हें मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए जो ग्राहक की पृष्ठभूमि, कार्यकलाप का स्वरूप और स्थान, मूल देश, निधियों के स्रोत और उसके ग्राहक के प्रोफाइल आदि पर निर्भर होगा। बैंक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित उचित सावधानी बरतने के और अधिक उपाय करें, जिसमें यह अपेक्षित होगा कि विशेषकर जिनके निधियों के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं ऐसे उच्चतर जोखिम वाले ग्राहकों के लिए गहन 'उचित सावधानी' लागू की जाए। जिनके लिए उच्चतर उचित सावधानी आवश्यक है ऐसे ग्राहकों के उदाहरण हैं; (क) अनिवासी ग्राहक, (ख) उच्च मालियत वाले व्यक्ति, (ग) न्यास, धर्मादाय, गैर-सरकारी संगठन और दानराशियां प्राप्त करने वाले संगठन, (घ) ऐसी कंपनियां जिनमें निकट परिवार में शेयरधारिता अथवा हितार्थी स्वामित्व हैं, (ङ) 'निष्क्रिय साझेदार' वाले फर्म, (च) विदेशी मूल के पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी ई पी), (छ) अप्रत्यक्ष (नॉन फेस टू फेस) ग्राहक, तथा (ज) उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार धोखेबाज़ के रूप में बदनाम ग्राहक आदि।

यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकरण नीति को अपनाना एवं उसका कार्यान्वयन अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए और इसका परिणाम सामान्य जनता, विशेषकर वित्तीय और सामाजिक तौर पर प्रतिकूल परिस्थिति वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं नकारने में नहीं होना चाहिए ।

<u>ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सी आइ पी)</u>

3. बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय, वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा यदि पहले प्राप्त की गई ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता /सत्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में बैंक को कोई संदेह हो तो उस समय, की जाने वाली ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी

चाहिए। ग्राहक की पहचान से तात्पर्य ग्राहक को अभिनिर्धारित करना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्त्रोत दस्तावेज़ों, डेटा या सूचना द्वारा उनका सत्यापन करना। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक नये ग्राहक, चाहे वह नियमित हो या यदा-कदा आने वाला हो का अभिनिर्धारण अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु आवश्यक पर्याप्त जानकारी और उसके बैंकिंग संबंध के अभिप्रेत स्वरूप के प्रयोजन की जानकारी प्राप्त करें। संतुष्ट होने का अर्थ यह है कि संबंधित बैंक सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकता है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के संबंध में जोखिम के स्वरूप पर आधारित उचित सावधानी बरती गई है। इस प्रकार का जोखिम आधारित दृष्टिकोण बैंकों के अनावश्यक खर्च से बचने तथा ग्राहकों की दृष्टि से बोझिल व्यवस्था को टालने के लिए आवश्यक है। जोखिम निर्धारण के अलावा, आवश्यक सूचना/दस्तावेज़ों का स्वरूप भी ग्राहक के प्रकार (वैयक्तिक, कंपनी आदि) पर निर्भर होगा। जो ग्राहक 'नेचुरल' व्यक्ति हैं, बैंकों को चाहिए कि उनसे उनकी पहचान उनका पता/स्थान सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अभिनिर्धारण डेटा तथा उनका हाल ही का फोटोग्राफ भी प्राप्त करें। जो ग्राहक विधिक व्यक्ति अथवा संस्थाएँ हैं, उनके लिए बैंक को चाहिए कि वे (i) उचित एवं संगत दस्तावेजों के माध्यम से उक्त विधिक व्यक्ति /संस्था के विधिक दर्जे का सत्यापन करें, (ii) विधिक व्यक्ति /संस्था की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में यह सत्यापित करें कि उसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, और उस व्यक्ति विशेष की पहचान को सत्यापित किया जाए, (iii) ग्राहक के स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें और अंततः विधिक व्यक्ति का नियंत्रण करने वाले 'नेचुरल' व्यक्तियों को निर्धारित करें। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएँ, विशेषकर ऐसे विधिक व्यक्ति के संबंध में जिनके लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, अनुबंध II में दी गयी हैं। तथापि, बैंक ऐसे व्यक्तियों /संस्थाओं के साथ व्यवहार संबंधी अपने अनुभव, सामान्य बैंकरों के विवेक तथा स्थापित प्रथाओं के अनुसार विधिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करें। यदि बैंक ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसरण में ऐसे खातों को स्वीकार करने का निर्णय लेता है तो संबंधित बैंक को चाहिए कि वे हितार्थी स्वामी /स्वामियों को अभिनिर्धारित करने हेतु समुचित कदम उठाएँ और उसकी /उनकी पहचान इस प्रकार करें ताकि इस बात की संतुष्टि हो जाए कि हितार्थी स्वामी कौन हैं। ग्राहक की पहचान करने के लिए जिन दस्तावेजों/सूचनाओं के स्वरूप तथा प्रकार पर निर्भर हुआ जा सकता है उनकी उदाहरण रूपी सूची अनुबंध III में दी गई है।

[6]धनशोधन निवारण नियमावली, 2005 के नियम 9 (1क) में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी और वित्तीय संस्था, जो भी हो, हितार्थी स्वामी की पहचान करेगी और उसकी पहचान के सत्यापन के लिए समस्त उचित कदम उठाएगी। 'हितार्थी स्वामी' शब्द को ऐसे नेचुरल व्यक्ति के

---

[6] 27 फरवरी 2013 का डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं. 321 /03.10.42 /2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी ग्राहक का तथा/अथवा उस व्यक्ति का, जिसकी ओर से लेनदेन संचालित किया जा रहा है, अन्तिम स्वामी है या उसे नियंत्रित करता है। इस परिभाषा में वह व्यक्ति भी शामिल है जो किसी विधिक व्यक्ति पर अन्तिम प्रभावी नियंत्रण रखता है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर गौर किया है और हितार्थी स्वामित्व के निर्धारण के लिए क्रियाविधि विनिर्दिष्ट की है। भारत सरकार द्वारा सूचित क्रियाविधि निम्नवत् हैः

ए. जहां कहीं ग्राहक से तात्पर्य किसी व्यष्टि या न्यास को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से हो, बैंकिंग कंपनी और वित्तीय संस्था, चाहे जो भी हो, ग्राहक के हितार्थी स्वामियों की पहचान करे और निम्नलिखित जानकारी के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए उचित कदम उठाए।

(i) ऐसे नेचुरल व्यक्ति की पहचान, जो चाहे अकेले या संयुक्त रूप से अथवा एक या अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से, स्वामित्व के माध्यम से नियंत्रण रखता है अथवा जिसके पास अन्तिम नियंत्रक स्वामित्व हित हो।

व्याख्या: जहां विधिक व्यक्ति कोई कंपनी है, वहां स्वामित्व हित पर नियंत्रण का अभिप्राय विधिक व्यक्ति के शेयर या पूंजी या लाभ के 25 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व/पात्रता से है। जहां विधिक व्यक्ति कोई साझेदारी है, वहां उसका अभिप्राय विधिक व्यक्ति के पूंजी या लाभ के 15% से अधिक के स्वामित्व/पात्रता से है अथवा जहां कहीं विधिक व्यक्ति कोई अनिगमित संघ या व्यष्टियों का निकाय है वहां उसका अभिप्राय विधिक व्यक्ति की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15% से अधिक के स्वामित्व या पात्रता से है।

(ii) ऐसे मामलों में जहां (i) के संबंध में संदेह हो कि नियंत्रक स्वामित्व हित वाला व्यक्ति हितार्थी स्वामी है या नहीं अथवा जहां स्वामित्व हित के माध्यम से नियंत्रण रखनेवाला कोई नेचुरल व्यक्ति न हो, वहां अन्य माध्यमों से विधिक व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले नेचुरल व्यक्ति की पहचान।

व्याख्या: अन्य माध्यमों से नियंत्रण मताधिकार, करार, व्यवस्था इत्यादि के माध्यम से रखे जा सकते हैं।

(iii) जहां उपर्युक्त (i) या (ii) के अंतर्गत किसी नेचुरल व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, वहां वरिष्ठ प्रबंध पदाधिकारी का पद धारण करने वाले संबंधित नेचुरल व्यक्ति की पहचान।

बी. जहां ग्राहक कोई न्यास हो तो बैंकिंग कंपनी और वित्तीय संस्था, जो भी हो, ग्राहक के हितार्थी स्वामी की पहचान करेगी और न्यास के व्यवस्थापक, न्यासी, संरक्षक, न्यास में 15% या उससे अधिक हित रखने वाले लाभार्थी और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर मूलभूत प्रभावकारी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य नेचुरल व्यक्ति की पहचान के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

सी. जहां ग्राहक या नियंत्रक हित धारक किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कोई कंपनी हो, अथवा ऐसी ही किसी कंपनी के बहुमत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हो, वहाँ ऐसी कंपनियों के किसी शेयरधारक या हितार्थी स्वामी की पहचान करना और उसकी पहचान का सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (एनबीएफसी/आरएनबीसी) उपर्युक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) नीति की समीक्षा करें और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

<u>लेनदेनों की निगरानी</u>

4. "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी कारगर क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्व है निरंतर निगरानी । बैंक केवल तभी प्रभावी ढंग से अपनी जोखिम का नियंत्रण कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं जब उनमें ग्राहक की सामान्य और समुचित गतिविधि की समझ हो ताकि इससे गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर के लेनदेनों का पता लगाने के साधन उनके पास उपलब्ध हो जाएं। तथापि, निगरानी किस सीमा तक होगी वह उस खाते के जोखिम की संवेदनशीलता पर निर्भर होगा। बैंकों को चाहिए कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातें, जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा दृश्य वैध प्रयोजन न हो, की ओर विशेष ध्यान दें। बैंक खातों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित करें और इन सीमाओं को लांघने वाले लेनदेनों की ओर विशेष ध्यान दें। बड़ी नकद राशि वाले लेनदेन, जो संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं, की ओर बैंक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होना चाहिए। रखी गयी शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेनदेन यह दर्शाते हैं कि उस खाते से बड़ी-बड़ी निधियां निकाली जा रही है। उच्च जोखिम वाले खातों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रत्येक बैंक को ग्राहक की पृष्ठभूमि, जैसे - मूल देश, निधियों के स्त्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और जोखिम के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे खातों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक निश्चित करना चाहिए। बैंकों को खातों के जोखिम वर्गीकरण और उचित सावधानी के और अधिक उपाय लागू करने की आवश्यकता की आवधिक समीक्षा की प्रणाली आरंभ करनी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खातों से हुए लेन-देनों के अभिलेख एवं उनका अनुरक्षण धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 की अपेक्षानुसार किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संदिग्ध प्रकार के और/या किसी अन्य प्रकार के लेन-देन जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अंतर्गत अधिसूचित हैं, के ब्योरे कानून व्यवस्था लागू करने वाले उचित प्राधिकारी को रिपोर्ट किए जाएं।
बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं रु.10 लाख एवं अधिक के सभी नकद लेन-देनों (जमा एवं आहरण) के उचित अभिलेख रखें। आंतरिक निगरानी प्रणाली में यह बात अंत:स्थापित होनी चाहिए कि ऐसे लेन-देनों एवं संदिग्ध प्रकार के लेन-देनों की सूचना नियंत्रक/प्रधान कार्यालय को पाक्षिक आधार पर दी जाए।

जोखिम प्रबंधन

5. बैंक के निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित क्रियाविधियों को स्थापित करके और प्रभावी रूप में उन्हें कार्यान्वित करके 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम को प्रभावी रूप में लागू किया जाए। इसमें उचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियां तथा नियंत्रण, कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। बैंक की नीतियों तथा क्रियाविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के भीतर ही उत्तरदायित्व का स्पष्ट विनियोजन/आबंटन किया जाए। बैंक लेनदेन, खाते अथवा बैंकिंग/व्यापारिक संबंधों में निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए, अपने बोर्ड के साथ परामर्श करके अपने मौजूदा तथा नये ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने की क्रियाविधियां बनाएं तथा धन शोधन निवारण के लिए विभिन्न उपायों को लागू करें।

'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियों तथा क्रियाविधियों के मूल्यांकन तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने में बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन संबंधी गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य नियमानुसार, अनुपालन कार्य में बैंक की अपनी नीतियों तथा क्रियाविधियों का, जिनमें विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं शामिल हैं, स्वतंत्र मूल्यांकन निहित होना चाहिए। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो ऐसी नीतियों तथा क्रियाविधियों से भली-भाँति परिचित हैं। समवर्ती /आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष रूप से शाखाओं में 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों की जांच करनी चाहिए तथा उन्हें लागू किये जाने को सत्यापित करना चाहिए तथा इस संबंध में पायी गयी कमियों पर टिप्पणी देनी चाहिए। संबंधित अनुपालन रिपोर्ट को बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत किया जाए ।

बैंकों में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य चलते रहने चाहिए ताकि स्टाफ सदस्य 'अपने ग्राहक को जानने' की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित हो जाएं। पहली पंक्ति (frontline) के स्टाफ, अनुपालन-स्टाफ तथा नए ग्राहकों से व्यवहार करने वाले स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्वरूप के फोकस की अपेक्षा होगी। यह महत्त्वपूर्ण है कि इस विषय/कार्य से संबंधित सभी व्यक्ति 'अपने ग्राहक को जानने' संबंधी नीतियों के पीछे की संगति/आवश्यकता को समझें और उन्हें सतत रूप में लागू करें।

ग्राहक शिक्षण

6. 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि के कार्यान्वयन के संदर्भ में बैंकों के लिए ग्राहकों से कुछ ऐसी जानकारी मांगना आवश्यक होता है जो वैयक्तिक स्वरूप की हो अथवा जिसकी इसके पहले कभी मांग न की गयी हो। इससे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक ऐसी जानकारी माँगने के उद्देश्य तथा प्रयोजन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। अतः ग्राहक को 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक संबंधित विशिष्ट

साहित्य/प्रचार-पुस्तिका आदि तैयार करें। front डेस्क स्टाफ को ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड /स्मार्ट कार्ड /गिफ्ट कार्ड

7. बैंकों को नयी अथवा विकासशील प्रौद्योगिकियों जिनमें इंटरनेट बैंकिंग शामिल है, जिसके कारण धन के स्रोत का पता नहीं चलता, इनसे उभरने वाले धन शोधन से संबंधित जोखिमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो धन शोधन योजनाओं में उनके उपयोग को रोकने के उपाय करने चाहिए ।

अनेक बैंक विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के व्यवसाय में लगे हैं। ग्राहक उनका उपयोग माल खरीदने तथा सेवाएं लेने, ए टी एम से नकद राशि आहरित करने के लिए करते हैं। निधियों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए भी इनका उपयोग हो सकता है। सामान्यतः इन कार्डों की मार्केटिंग एजेंटों की सेवाओं के माध्यम से की जाती है। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पूर्व 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों को उचित रूप में तत्संबंध में लागू किया जाए। यह भी वांछनीय है कि एजेंट पर भी 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू किये जाएं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस नीति को क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में अपनाएं, क्योंकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, चार्ज कार्ड आदि जारी करने की अनुमति नहीं है।

मौजूदा खातों के संबंध में "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी मानदण्ड

8. बैंकों को 24 नवंबर 2003, 16 दिसंबर 2003 तथा 21 जून 2004 के क्रमश: परिपत्र सं. बैंपविवि.एएमएल.बीसी.47/14.01.001/2003-04, बैंपविवि.एएमएल.बीसी. 129/14.01.001/ 2003-04 तथा बैंपविवि. एएमएल.बीसी. 101 /14.01.001/2003-04 में सूचित किया गया था कि वे 16 अगस्त 2002 के हमारे परिपत्र सं.बैंपविवि. एएमएल.बीसी. 18/14.01.001/2002-03 में यथा सूचित "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी मानदण्डों को सभी मौजूदा ग्राहकों के संबंध में समयबद्ध रूप में लागू करें।**[गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 6 जनवरी 2004 के हमारे परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 34/2003-04 में सूचित किया गया था कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों के संबंध में "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी मानदण्डों को समयबद्ध रूप में लागू करें।]** जबकि पुनरीक्षित दिशानिर्देश सभी नए ग्राहकों पर लागू होंगे, वहीं बैंक उन्हें मौजूदा ग्राहकों पर भी तथ्यों एवं जोखिम के आधार पर लागू करेंगे। तथापि, मौजूदा खातों से हुए लेन-देनों की निगरानी सतत आधार पर की जाए एवं खाते से हुए असामान्य स्वरूप के परिचालन इस बात का संकेत देंगे कि ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी उपायों (CDD) की समीक्षा जाए। बैंक ऐसे खातों के स्वरूप के आधार पर उन पर मौद्रिक सीमा लगाने पर विचार कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कंपनियों, फर्मों, न्यासों, धर्मादायों, धार्मिक संगठनों एवं अन्य संस्थाओं के मौजूदा खातों पर

"अपने ग्राहक को जानने" संबंधी न्यूनतम मादण्ड लागू किए जाएं, जिससे नेचुरल /विधिक व्यक्ति तथा हितधारी स्वामियों की पहचान हो सकेगी। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि मियादी तथा आवर्ती जमा खातों या उन्हीं के स्वरूप के अन्य खातों को नवींकरण के समय, नए खाते माना जाए एवं उन्हें "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी पुनरीक्षित मानदण्डों की प्रक्रिया से जांचा जाए/गुजारा जाए।

जहां ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने तथा /अथवा ग्राहक के असहयोग के कारण बैंक को 'अपने ग्राहक को जानने' के उपाय लागू करना संभव नहीं है, वहां बैंक अपने ग्राहक को ऐसा निर्णय लेने के कारण स्पष्ट करने वाली एक सूचना जारी करने के बाद, खाता बंद करने अथवा उस ग्राहक से बैंकिंग /व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर सकता है। ऐसे निर्णय उचित वरिष्ठ स्तर पर लेना आवश्यक है ।

भारत से बाहर की शाखाओं तथा सहायक कंपनियों पर उक्त मानदण्डों का लागू होना

9. उक्त दिशानिर्देश भारत से बाहर, विशेषकर एफएटीएफ संस्तुतियों को या तो लागू न करने वाले या अपर्याप्त रूप में लागू करने वाले देशों में स्थित शाखाओं एवं प्रमुख रूप से स्वाधिकृत सहायक कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होगें जहाँ तक उस देश के कानून अनुमति देते हैं। जब लागू स्थानीय कानून एवं विनियमन इन दिशानिर्देशों को लागू करने पर प्रतिबंध/रोक लगाते हों तो ऐसे मामले को रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाया जाए।

प्रधान अधिकारी की नियुक्ति

10. बैंक किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकरी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करें। प्रधान अधिकारी बैंक के मुख्य / कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर होगा तथा उस पर सभी लेन-देनों की निगरानी तथा रिपोर्टिंग तथा कानून के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी के अदान-प्रदान का दायित्व होगा। इस अधिकारी को प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों तथा किसी अन्य संस्था जो कि धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में शामिल है, के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा ।

अनुबंध VII

ग्राहक पहचान संबंधी अपेक्षाएं - सांकेतिक दिशानिर्देश

न्यास/नामिती अथवा न्यासी खाते

यह संभावना हो सकती है कि न्यास /नामिती अथवा न्यासी खातों का, ग्राहक पहचान क्रियाविधियों से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बैंकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ग्राहक न्यासी /नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है। यदि ऐसा है तो बैंक को उन ग्राहकों से, जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं, उन मध्यवर्तियों अथवा व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए तथा न्यास के स्वरूप तथा अन्य निर्धारित व्यवस्थाओं के ब्यौरे भी प्राप्त करना चाहिए। किसी न्यास के लिए खाता खोलते समय, बैंकों को न्यासियों तथा न्यास के अवस्थापकों (जिनमें न्यास में आस्तियां लगाने वाला कोई व्यक्ति शामिल है), अनुदान देनेवालों, संरक्षकों, हिताधिकारियों तथा - हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने की उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनकी पहचान कर ली जानी चाहिए। फाउंडेशन के मामले में, संस्थापक प्रबंधकों /निदेशकों तथा हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनका सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

कंपनियों तथा फर्मों के खाते

बैंकों में खाते रखने के लिए व्यक्तियों द्वारा बिजनेस कंपनियों का एक 'front' के रूप में उपयोग करने के मामले में बैंकों को सतर्क रहना आवश्यक है। बैंकों को कंपनी के नियंत्रक ढांचे की जांच करनी होगी, निधियों के स्रोत का पता करना होगा तथा उन नेचुरल व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनका नियंत्रक हित है और जो प्रबंधतंत्र का एक हिस्सा हैं। इन अपेक्षाओं को जोखिम-बोध के अनुसार कम-अधिक किया जा सकता है -उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सभी शेयरधारकों को पहचानना आवश्यक नहीं होगी।

व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गये ग्राहक खाते

जब किसी बैंक को यह पता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए। बैंकों के पास म्युच्युअल निधियों, पेन्शन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते हो सकते हैं। बैंकों में विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए 'ऑन डिपाज़िट' अथवा 'इन एस्क्रो' धारित निधियों के लिए वकीलों/ चार्टर्ड एकाउंटंट्स् अथवा स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते भी होते हैं।

जहां मध्यवर्तियों द्वारा धारित निधियां बैंक में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और बैंक में 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी होगी। जहां ऐसी निधियों को बैंक में एक साथ मिश्रित किया गया है, वहां भी बैंक को हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। जहां बैंक, किसी मध्यवर्ती द्वारा की गयी `ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता/सावधानी' पर निर्भर हैं वहां उन्हें अपने को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि मध्यवर्ती नियंत्रित तथा पर्यवेक्षित है और उसने अपने यहां "अपने ग्राहक को जानिए" अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक को जानने का अंतिम दायित्व बैंक का है ।

<u>भारत के बाहर रहने वाले पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी इ पी) के खाते</u>

पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन वे व्यक्ति हैं जो विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य करते हैं अथवा ऐसे कार्य उन्हें सौंपे गये हैं- उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी /न्यायिक/ सेना अधिकारी, राजकीय स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के पदधारी (कार्यकर्ता) इत्यादि। बैंक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य रखने वाले इस श्रेणी के किसी व्यक्ति /ग्राहक के मामले में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें तथा उस व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समस्त जानकारी की जांच करें। बैंकों को पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले इस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना चाहिए और इन निधियों के स्रोत की जानकारी हासिल करनी चाहिए। पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन के लिए खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकरण नीति में स्पष्टतः निर्धारित वरिष्ठ स्तर पर लिया जाए । बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों की निरंतर आधार पर अधिक मॉनीटरिडग करें। इन उपर्युक्त मानदंडों को पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के खातों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

<u>अप्रत्यक्ष (नान फेस टू फेस) ग्राहकों के खाते</u>

टेलीफोन और इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रचलन से बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए अधिकाधिक खाते खोले जा रहें है जिसके लिए ग्राहकों के बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष ग्राहकों के मामले में, ग्राहक की सामान्य पहचान क्रियाविधि लागू करने के अलावा निहित उच्चतर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट और पर्याप्त क्रियाविधियों की आवश्यकता है। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पर ज़ोर दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेजों की माँग की जाए। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक के दूसरे बैंक खाते के जरिए पहला भुगतान करने की अपेक्षा भी रख सकते है जिसमें 'अपने ग्राहक को जानने' के समान मानकों का पालन होता है। सीमा पार ग्राहकों के मामले में ग्राहक के दस्तावेजों के साथ मेल

मिलाने की अतिरिक्त कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में बैंक को तीसरी पार्टी के प्रमाणीकरण/पहचान पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तीसरी पार्टी एक विनियमित और पर्यवेक्षित संस्था है और वहां पर 'अपने ग्राहक को जानने' की प्रणाली पर्याप्त रूप में कार्यरत है।

<u>संपर्ककर्ता बैंकिंग (कॉरेस्पेंडेंट बैंकिंग)</u>

संपर्ककर्ता बैंकिंग में एक बैंक (संपर्ककर्ता बैंक) से दूसरे बैंक (रिस्पॉन्डेंट बैंक) में बैंकिंग सेवा का प्रावधान रहता है। इन सेवाओं में नकद/निधियो का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय तार अंतरण, मांग ड्राफ्ट आहरण और डाक अंतरण व्यवस्था, खातो के जरिए देय व्यवस्था, चेक समाशोधन आदि का समावेश रहता है। संपर्ककर्ता बैंक /रिस्पॉन्डेंट बैंक के कामकाज का स्वरूप पूर्णतः समझने के लिए बैंकों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दूसरे बैंक का प्रबंधन, प्रमुख कारोबारी गतिविधियाँ, एएमएल / सीएफटी अनुपालन का स्तर, खाता खोलने का उद्देश्य, किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान जो संपर्ककर्ता बैंकिंग का उपयोग करेगा और संपर्ककर्ता /रिस्पॉन्डेंट के देश में विनियामक /पर्यवेक्षण ढाँचे के संबंध में जानकारी विशेष रूप से संगत हो सकती है। इसी प्रकार, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के जरिए यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या दूसरे बैंक पर धन शोधन या आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन देने के संबंध में किसी प्रकार की जांच या विनियामक कार्रवाई की गई है/जा रही है। यह वांछनीय होगा कि ऐसे संबंध केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही स्थापित किए जाएं, तथापि यदि किसी बैंक का बोर्ड किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित करना चाहे तो वे ऐसे संबंध अनुमोदित करने के लिए स्पष्ट मानदंडों को निर्धारित करते हुए, बैंकों के अध्यक्ष /सीइओ के नेतृत्व वाली समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अनिवार्यतः बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारियों को जिनके साथ संपर्ककर्ता बैंकिंग संबंध स्थापित किये गये हैं स्पष्ट रूप में प्रलेखित किया जाने चाहिए। खाते के जरिए देय मामलों में संपर्ककर्ता बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ने उन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन कर लिया है जिनकी खातों में सीधी पहुँच है और उनके संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' बरती जा रही है। संपर्ककर्ता बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी अनुरोध करने पर तुरंत देने में सक्षम है ।

किसी "शेल बैंक" (अर्थात् ऐसा बैंक जो किसी देश में निगमित है जहां उसका अपना अस्तित्व नहीं है और वह किसी विनियमित वित्तीय समूह से संबंधित नहीं है) के साथ संपर्ककर्ता संबंध स्थापित करने से बैंक को इन्कार करना चाहिए। शेल बैंकों को भारत में कार्य करने की अनुमति नहीं है। बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करते समय सतर्क रहना चाहिए जो उनके खातों का उपयोग करने की अनुमति शेल बैंकों को देते हैं। बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट बैंकों के साथ संबंध बनाए रखने में अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए जो ऐसे देशों में

स्थित हैं जहां 'अपने ग्राहक को जानने' के मानक कमजोर हैं और ऐसे देश जिन्हें धन शोधन और आंतकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में 'असहयोगी' के रूप में जाना गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिस्पॉन्डेंट बैंकों के पास धन शोधन निवारण नीति और क्रियाविधि है और वे संपर्ककर्ता खातों के जरिए किए गए लेनेदेनों के संबंध में निरंतर और अधिक 'उचित सावधानी' क्रियाविधि लागू करते है ।

XXXXX

<u>अनुबंध VIII</u>

<u>ग्राहक पहचान क्रियाविधि</u>

सत्यापित किये जानेवाले पहलू और ग्राहकों से प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेज

पहलू	दस्तावेज
व्यक्तियों के खाते - विधिक नाम और प्रयोग में लाए गए अन्य नाम - सही स्थायी पता	(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) पहचान पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (vi) बैंक की संतुष्टि के लिए मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्राहक के पहचान तथा निवास को सत्यापित करता हुआ पत्र (i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) बिजली का बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (ऐसा कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है जो बैंक को ग्राहक की जानकारी के संबंध में संतुष्ट करता हो)
कंपनियों के खाते कंपनी का नाम कारोबार का प्रमुख स्थान कंपनी का डाक पता टेलीफोन/फैक्स संख्या	(i) निगमन के संबंध में प्रमाणपत्र और संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम (ii) खाता खोलने के संबंध में निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव और जिन्हें खाता चलाने का अधिकार है उनकी पहचान (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) पैन आबंटन पत्र की प्रतिलिपि (v) टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि
भागीदारी फर्म के खाते विधिक नाम पता भागीदारों के नाम और पते फर्म और भागीदारों के टेलीफोन नंबर	(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि पंजीकृत हो (ii) भागीदारी विलेख (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु किसी भागीदार या फर्म के कर्मचारी को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) भागीदारों और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (v) फर्म/भागीदारों के नाम-

	टेलीफोन बिल
न्यासों और संस्थानों(फाउंडेशनों) के खाते न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम संस्थापकों, प्रबंधकों/निदेशकों और हितार्थी के नाम और पते टेलीफोन/फैक्स नंबर	(i) पंजीकरण प्रमाण यदि पंजीकृत हो (ii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iii) न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों, संस्थापकों /प्रबंधकों /निदेशकों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (iv) फाउंडेशन/ एसोसिएशन के प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव (v) टेलीफोन बिल

परिशिष्ट

अपने ग्राहक को जानने संबंधी परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
(i)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 46/02.02(RNBC)/2004-05	30 दिसंबर 2004
(ii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 48/10.42/2004-05	21 फरवरी 2005
(iii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 58/10.42/2005-06	11 अक्तूबर 2005
(iv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 64/03.10.042/2005-06	7 मार्च 2006
(v)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 113/03.10.042/2007-08	23 अप्रैल 2008
(vi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 163/03.10.042/2009-10	13 नवंबर 2009
(vii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 166/03.10.42 /2009-10	2 दिसंबर 2009
(viii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 192/03.10.42/2010-11	9 अगस्त 2010
(ix)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 193/03.10.42/2010-11	9 अगस्त 2010
(x)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 201/03.10.42 /2010-11	22 सितम्बर 2010
(xi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 202/03.10.42 /2010-11	4 अक्तूबर 2010
(xii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 209/03.10.42/2010-11	28 जनवरी 2011
(xiii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 210/03.10.42/2010-11	14 फरवरी 2011
(xiv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 212/03.10.42/2010-11	8 मार्च 2011
(xv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.216 /03.10.42 /2010-11	02 मई 2011
(xvi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 218/03.10.42/2010-11	04 मई 2011
(xvii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 215/03.10.42/2010-11	5 अप्रैल 2011
(xviii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 242/03.10.42/2011-12	15 सितम्बर 2011
(xix)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 244/03.10.42/2011-12	22 सितम्बर 2011
(xx)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 251/03.10.42/2011-12	26 दिसम्बर 2011

(xxi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 257/03.10.42/2011-12	14 मार्च 2012
(xxii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 264/03.10.42/2011-12	21 मार्च 2012
(xxiii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 270/03.10.42/2011-12	4 अप्रैल 2012
(xxiv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 275/03.10.42/2011-12	29 मई 2012
(xxv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 294/03.10.42/2012-13	5 जुलाई 2012
(xxvi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 295 /03.10.42 /2012-13	11 जुलाई 2012
(xxvii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.296 /03.10.42 /2012-13	11 जुलाई 2012
(xxviii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.298 /03.10.42 /2012-13	26 जुलाई 2012
(xxix)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.302 /03.10.42 /2012-13	7 सितम्बर 2012
(xxx)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 304 /03.10.42 /2012-13	17 सितम्बर 2012
(xxxi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.305 /03.10.42 /2012-13	3 अक्तूबर 2012
(xxxii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.306 /03.10.42 /2012-13	3 अक्तूबर 2012
(xxxiii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.310 /03.10.42 /2012-13	22 नवम्बर 2012
(xxxiv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 313 /03.10.42 /2012-13	10 दिसम्बर 2012
(xxxv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 318 /03.10.42 /2012-13	28 दिसम्बर 2012
(xxxvi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.319 /03.10.42 /2012-13	28 दिसम्बर 2012
(xxxvii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 321 /03.10.42 /2012-13	27 फरवरी 2013
(xxxviii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 323 /03.10.42 /2012-13	18 अप्रैल 2013
(xxxix)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 324 /03.10.42 /2012-13	2 मई 2013
(xl)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 325 /03.10.42 /2012-13	3 मई 2013
(xli)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 351/03.10.42 /2013-14	4 जुलाई 2013
(xlii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 352/03.10.42 /2013-14	24 जुलाई 2013

(xliii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 357/03.10.42 /2013-14	3 अक्तूबर 2013
(xliv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 358/03.10.42 /2013-14	3 अक्तूबर 2013
(xlv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 364/03.10.42 /2013-14	1 जनवरी 2014
(xlvi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 366/03.10.42 /2013-14	10 जनवरी 2014
(xlvii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 370/03.10.42 /2013-14	19 मार्च 2014
(xlviii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 375/03.10.42 /2013-14	22 अप्रैल 2014

परिशिष्ट

धनशोधन निवारण अधिनियम - परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
(i)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 68/03.10.042/2005-06	5 अप्रैल 2006
(ii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 126/03.10.042/2008-09	5 अगस्त 2008
(iii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 164/03.10.042/2009-10	13 नवंबर 2009
(iv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 170/03.10.042/2009-10	23 अप्रैल 2010
(v)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 171/03.10.042/2009-10	23 अप्रैल 2010
(vi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 172/03.10.042/2009-10	30 अप्रैल 2010
(vii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 175/03.10.042/2009-10	26 मई 2010
(ix)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 198/03.10.42/2010-11	26 अगस्त 2010
(x)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 247/03.10.42/2010-11	28 अक्तूबर 2011
(xi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.307/03.10.42/2012-13	16 अक्तूबर 2012
(xii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.378/03.10.42/2013-14	29 मई 2014